सुन्नी इस्लाम
(हनफ़ी मज़हब)
की
नंगी तस्वीर

लेखक : मौहम्मद हिज़बुल्ला (पाकिस्तान)

सुन्नी इस्लाम (हनफ़ी मज़हब)
की
नंगी तस्वीर

लेखक

मौहम्मद हिज़बुल्ला

-:प्रकाशक:-

हिज़बुल्ला पब्लिकेशन एण्ड प्रैस क़ादियान

पाकिस्तान

ब्राँच:- ईरान, इराक, भारत (हैदराबाद)

दसवीं आवृत्ति
जनवरी २०१५ ई०

मूल्य : पचास रूपये
विदेश में : पाँच पौण्ड

सम्पादकीय

इस्लाम के इतिहास में हज़रत मौहम्मद साहब के इन्तकाल के बाद अनेकों खलिफाओं, पीर-पैगम्बरों व इमामों की बाढ़ सी आ गई थी, जिसके कारण इस्लाम मुख्यतः दो भागो में विभक्त हो गया था, जिन्हे **'सिया'** और **'सुन्नी'** जमात के नाम से पुकारा जाता है।

इन दोनों जमातों में भी अनेकों फिरके मौजूद हैं जो अपने-अपने इमामों की मान्यताओं पर आधारित हैं, उन्हीं में से सुन्नी जमात में एक प्रसिद्ध ईमाम अबु हनीफ़ा साहब हुए हैं, जिन्होने हनफ़ी मजहब की नीव रक्खी । तथा इनके मानने वाले मुसलमान लोग **"हनफ़ी"** कहलाये। हालाँकि हजूर ने कुरआन मजीद की आयतों के मुताबिक साफ कह दिया कि अब कोई पैगम्बर नही आयेगा, वे ही आखिरी पैगेम्बर हैं । सिर्फ कयामत के वक्त पैगेम्बर बनकर एक **मेहन्दी साहब** आयेगे, और दुनिया खत्म हो जायेगी फिर भी कुछ लोग पैगेम्बर घोषित किये गये, इन्हीं सब कारणों से इस्लाम में अनेकों फिरकों ने जन्म लिया। जो ७३ माने जाते हैं, जिनके सम्बन्ध में हजूर ने कहा था कि इस्लाम में एक फिरका होगा जो मेरी उम्मतों का मानने वाला होगा, बस ! वही केवल जन्नत में जायेगा, बाकी सभी फिरके वाले लोग जहन्नुम में जायेंगे। हम कुछ फिरकों अर्थात् सम्प्रदायों के नाम नीचे देते हैं, देखिये-

१. अशअरियाह, २. अहमदियाह, ३. इस्मायली,

४. ईसाकियाह, ५. कदरियाह, ६. कामिलियाह, ७. किरामियाह, ८. ख़ारजी, ९. खोज़ा, १०. जबरियाह, ११.रज़ाखानी (बरेलवी), १२. जबरियाह शुद्ध, १३. जबरियाह साधारण, १४. जबरियाह मध्य, १५. जहमियाह, १६. जैदियाह, १७. दाऊदी बोहरा, १८. नुक्तावियाह, १९. बहायी, २०. बाबी वादी, २१. बोहरा सुलैमानी, २२. बोहरा जाफ़री, २३. महमूदियाह, २४. मरज़ियाह, २५. मालिकी, २६. मुशाबियाह, २७. मेहन्दवी, २८. वहाबी, २९. शाफियाह, ३०. सिफातियाह, ३१. हम्बलियाह, ३२. हनफिया, ३३. हैतियाह, ३४. आज़मी कैफ़ी, ३५. फ़ाज़िली आदि-आदि ये ७३ फिरके हैं। जिनकी मान्यताएं अलग-अलग हैं।

मैने जगह-जगह पर सम्पादकीय टिप्पणियां दे देकर विषय को समझाने का प्रयास किया है, तथा प्रत्येक कथन को हदीसों से मिलान करके इस पुस्तक का सम्पादन किया है।

मेरा उद्देश्य किसी के मन को दुखाना नही है, अपितु जो-जो, त्रुटियां हैं उनको पेश किया है, जिससे ये हमारे हनफी भाई अपने अन्दर से इन त्रुटियों को दूर करके शान्ति का सच्चा मार्ग प्राप्त कर सकें, तथा शारीरिक, सामाजिक एवं आत्मिक उन्नति को प्राप्त कर सकें। इसी में देश, समाज और हमारे हनफ़ी भाईयों की भलाई निहित है ।

इस्लाम का खैरन्देश.........

"सम्पादक"

(हिज़बुल्ला पार्टी का सदस्य)

प्रस्तावना

इस्लाम के ७३ फिरकों में से एक फिरका है, जो "**हनफ़िया मजहब**" के नाम से जाना जाता है, प्रस्तुत पुस्तक इसी मजहब की मान्यताओं पर आधारित है इसके मानने वाले लोग अबू हनीफ़ा के अनुयायी माने जाते हैं।

इस्लाम में जबकि आँ हजरत मौहम्मद साहब जो इस्लाम में आखिरी नबी माने जाते हैं, परन्तु आपसी मतभेद व मान्यताओं के कारण उनके बाद अनेकों पीर और पैगम्बर व इमामों की बाढ़ सी आ गयी थी, जिन्होंने अलग-अलग तरीकों से अपने-अपने को नबी घोषित किया।

अबू हनीफ़ा के बारे में हदीसें क्या बयान करती हैं? यह आपको इस पुस्तक से पता चल जायेगा। प्रत्येक मान्यता के नीचे उसका पता लिखा हुआ है, आप उसे वहां देखकर उससे मिलान कर सकते हैं। हनफ़ी मजहब भी सुन्नी इस्लाम की ही एक शाखा है जिन्होने अपने अन्तर्गत आने वाले अनेकों फिरकों के लोगों का जीना हराम किया हुआ है, आये दिन इनमें क़त्लेआम होना एक सामान्य सी बात हो गयी है। आपसी वैचारिक मतभेद होने के कारण भाई ही भाई का गला काटने के लिए हर समय तैयार बैठा है। जहाँ इस्लाम शान्ति व पवित्रता का सन्देश देने का दावा छाती

ठोक कर करता है, वहां जब हम उसकी तह में जाते हैं तो उसकी यह सारी दावेदारी धरी की धरी रह जाती है, और प्रत्येक व्यक्ति उसकी मान्यताओं पर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है।

आप इस पुस्तक में इन मान्यताओं को पढ़ कर स्वाभाविक रूप से इनकी प्रमाणिकता चाहेगें, इसीलिए प्रत्येक बात को जहां से लिया गया है, उसके नीचे उस हदीस का हवाला पेश किया गया है। इन लोगों के पास इनका कोई जवाब नही है, बस ! एक ही हथियार इन लोगों के पास है कि शरीयः व कानून के अन्तर्गत सही बात कहने वाले को भी फाँसी लगवा दी जाये, उसके खिलाफ फतवा जारी कर उसे दुनियां से मिटा दिया जाये, इसके अलावा इनके पास और कुछ नही है। परन्तु अफसोस है कि अपनी त्रुटियों को दूर करने में ये लोग कोई श्रम नही करते ।

मैं चाहता हूँ कि भारतवर्ष में ही नही ब्लकि सारी दुनियां के लोग इन हनफ़ी मजहब वालों की वास्तविकता को जानें, और इनके बनावटी मीठे-मीठे खोखले दावों से दूर रहें। हमारा प्रयास है कि इस्लाम के बाकी फिरकों की जानकारी भी हम समय-समय पर दुनिया के सामने रक्खेगें।

इस्लाम का खैरन्देश-

"मुहम्मद हिज़बुल्ला"

क़ादियान (पाकिस्तान)

विषयानुक्रमणिका

क्रमांक	विषय	पृष्ठांक

क्रमांक	विषय	पृष्ठांक

क्रमांक	विषय	पृष्ठांक

सुन्नी इस्लाम (हनफ़ी मज़हब)

(१) बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं

देखिये कुरान मजीद में आया है कि-

निसा-उकुम् हर्सुल्लकुम् फ़अ्तु हर्सकुम् अन्ना....॥

(कुरान मजीद सूरा बकर आयत २२३)

भावार्थ- तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, तो अपनी खेती में जिस तरह चाहो जाओ, और अपने लिए आइन्दा का भी बन्दोबस्त रखो और अल्लाह से ड़रो, और जाने रहो कि उसके सामने हाज़िर होना है। और (ऐ पैगेम्बर) ईमान वालों को (यह) खुशखबरी सुना दो।

इस आयत पर कुरान के अनुवाद करने वाले अल्लाहमाशाह अब्दुल क़ादिर साहब ने हाशिया चढ़ाते हुए लिखा है कि-

यहुद कहते थे कि अगर कोई शख़्स औरत से इस तरह जमाव अर्थात् सम्भोग करे कि औरत की पुश्त अर्थात् पीठ मर्द के मुह की ज़ानिब अर्थात् तरफ़ हो तो बच्चा ज़ोल यानी भैंगा पैदा होता है।

एक बार हज़रत उमर रजिउल्लाह से ऐसा ही हुआ तो उन्होने यह बात हज़रत मौहम्मद साहब से अर्ज की तो यह

उपरोक्त आयत नाज़िल हुई अर्थात् अल्लाह की ओर से हुक्म जारी हो गया।

(२) गुदा मैथुन (लौंडेबाजी) का आदेश ।

"वती फ़ी उलदब्र" अर्थात् गुदा मैथुन (लौंडेबाजी) भी जायज हो गया, देखिये-

ख़जमिह बिन साबित ने कहा कि एक आदमी ने रसूल से पूछा कि स्त्री की गुदा में मैथुन करना चाहिये या नहीं? रसूल्लाह बोले-हाँ, करना चाहिये, वह हलाल अर्थात् इस्लाम के मुआफ़िक है।

(तफ़सीरे कबीर जिल्द २, हुज्ज़तस्सलिसा सफ़ा २३४ मिश्र द्वारा प्रकाशित)

देखिये इमाम आज़म कैफ़ी-इब्ने अबी मलकिह क्या फरमाते हैं ?-

मुझसे एक बार स्त्रियों से गुदा मैथुन* करने के बारे में

---

*इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध पुस्तक-**"हफ़वातुल मुस्लमीन"** अर्थात् मुसलमानों की बकवास, अवश्य ही अवलोकन करने योग्य है, जिसमें पूर्ण विस्तार से प्रमाणों सहित इस विषय को प्रस्तुत किया गया है।

"सम्पादक"

पूछा गया, तो मैने कहा कि मैने एक बार कुँवारी लडकी से यह काम करने की इच्छा की, परन्तु लिंग का गुदा के अन्दर जाना ही दुश्वार हो गया, तब मैने वहाँ तेल न पाकर (Natural Cream) अर्थात थूक से काम लिया, तो आसानी से लिंग अन्दर हो गया, तब वह लड़की खुश होकर एक दम बोल उठी- **"अऊजो विल्लाहे मिन्क"** अर्थात् दुहाई! क्या खुदा की कुदरत है?

इब्न अब्बास से रवायत है कि एक दिन ज़नाब उमर फ़ारूख, रसूले अल्लाह अर्थात् हज़रत मौहम्मद साहब के पास हाज़िर हुए और सेवा में अर्ज किया कि-

या रसूले अल्लाह! मैं हलाक हो गया अर्थात् मर गया, तब हज़रत साहब ने फ़रमाया कि- किस चीज ने तुम्हे हलाक किया?, तो उन्होने अर्ज किया कि-रात मैने अपनी सवारी अर्थात् बीबी को औन्धा (उल्टा) करके ज़माव (सम्भोग) किया था। बस! इतना सुनते ही अल्लाह ताला ने हज़रत मौहम्मद साहब के ऊपर **"वही"** अर्थात् अपना हुक्म जारी कर दिया कि- **"औरतें तुम्हारी खेती हैं, जिधर से चाहो, उधर से जाओ, बस! अल्लाह से ड़रो और उसकी सुनो"**

यही वह आयत है जो कुरान मजीद सूरा बकर **पारा-२** रूकु-२८, आयत नं०-२२३ के रूप में नाज़िल हुई थी।

(३) मैथुन के विभिन्न प्रकार भी जायज हैं।

देखिये शाहवली अब्दुल क़ादरी साहब फरमाते हैं कि-

एक शख़्स ने अपनी औरत से -"**वती फ़ी उल्दब्र**" अर्थात् गुदा मैथुन किया, तो उसे कुछ तकलीफ महसूस हुई तो उसने अपनी सवारी (औरत) को सीधा ही लिटा कर योनि से नीचे गुदा वाले सूराख में तेल का इस्तेमाल करते हुए सम्भोग किया तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तब उस शख़्स ने रसूल्लाह से पूछा कि मैने कुछ गलत तो नही किया? इस पर हजरत साहब फ़रमाते हैं कि- "**हलाल है, किसी भी ज़ानिब अर्थात् तरीके से करो, बशर्ते कि सूराख वाहद अर्थात् सीधा हो।**" इससे साफ पता चलता है कि इस्लाम में मैथुन को किसी भी आसन से किया जा सकता है, भले ही खड़े होकर, झुक कर, चित्त या पट्ट अवस्था में या अन्य किसी भी प्रकार से जिसमें दोनों फ़रीक सुविधा और आनन्द महसूस करें बस! शर्त यही है कि-"**सूराख सीध में हो**"।

(४) हैज़ अर्थात् महावारी के दिनों में भी सम्भोग करना जायज है ।

हज़रत आयशा रजीउल्लाह से रवायत है कि-हज़रत मौहम्मद साहब के साथ आपकी किसी बीबी ने एतकाफ़ अर्थात् सम्भोग किया और वह बहालत इस्तहाज़ा अर्थात् महावारी से थी । जब वह खून देखती थी तो कभी खून की वजह से वह अपने नीचे तश्तरी रख लेती थी ।

(सही बुखारी, भाग १, सफ़ा ७७ हदीस २११)

देखिये हज़रत आयशा रजीउल्लाह से रवायत है कि-

मैं और नबी सलाल्लेहुवलैहीअस्लम अर्थात् रसूले खुदा, एक ही बर्तन में वजू करते थे, दोनों नापाक होते थे, और आप मुझे हुकम देते थे। बस ! मैं इजार अर्थात् विशेष पोशाक पहिनती थी, और आप मुझसे मुबाशिरत (सम्भोग) करते थे, और मैं हैज़ (महिने) से होती थी, और आप अपना सर मेरी तरफ कर देतें थे । मैं बहालत ऐतकाफ़ (महिने से) होने के कारण उन धब्बों को धोती थी, हालाँकि मेरी हालत मासिक धर्म के कारण (नाशाद) रहती थी ।

(५) रोज़ो में सम्भोग करना खुदाई आदेश है ।

इस्लाम के अन्दर रोज़ों के दिनों में भी सम्भोग करना जायज़ करार कर दिया गया है, देखिये कुरान मजीद में आया

है कि-

ऐ मुसलमानो ! रोज़ों की रातों में सम्भोग के लिए अपनी बीबियों के पास जाना, तुम्हारे लिए ज़ायज़ कर दिया गया है । वे तुम्हारी पोशाक हैं और तुम उनकी पोशाक हो, अल्लाह ने जब देखा कि तुम चोरी-चोरी उनके पास जाने से अपना दीनी नुकसान करते थे, तो उसने तुम्हारा कसूर माफ़ कर दिया है और तुम्हारे अपराध से दर गुजर की। बस! अब रोज़ों की रातों में भी तुम उनके साथ हमबिस्तरी अर्थात् सम्भोग कर सकते हो, और जो खुदा ने तुम्हारे लिए लिख रक्खा है, उसकी इच्छा करो और खाओ-पिओ जब तक कि सुबह की सफेदी नज़र न आने लगे।

(कुरान मजीद सूरा बकर आयत १८७)

इस आयत के बारे में सही बुखारी के अन्दर **जिल्द-१, सफ़ा ३०१ हदीस संख्या ९११** में लिखा है कि-

रजीउल्लाह अन्ह से रवायत है कि - आपने कहा मुहम्मद सले अल्लाह औलिया व सल्लाह के सहाबा में जब कोई रोज़ादार होता और इफ़्तार अर्थात् रोज़ा खोलने के वक्त सो जाता, बिना कुछ खाये-पिये, तो वह तमाम रात और तमाम दिन नही खा सकता था। यहां तक कि शाम को एक दफ़ा कैश बिन हरमह अन्सारी रोज़ा से थे, तो जब रोज़ा-

इफ्तारी का वक्त अर्थात् रोज़ा खोलने का समय आया तो अपनी बीबी के पास आये और उससे कहा कि - तेरे पास कुछ खाने के लिए है? उसने कहा - नही, लेकिन मैं जाती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ तलाश करूँगी, शायद कुछ मिल जाये। वह दिनभर मजदूरी करते थे, जब कुछ न मिला तो उनकी आँखें उन पर ग़ालिब आई, और सो गये, जब उनके पास उनकी बीबी आई और कहने लगी कि हम लोग तो बड़ी आफ़त में पड़ गये।

जब दूसरे रोज़ दोपहर का वक्त हुआ तो उन पर ग़शी तारी हुई अर्थात् उनको बेहोशी आ गयी। इसका ज़िकर रसूले खुदा सलाल्लेहुवलैहीअस्लम से किया गया तो यह उपरोक्त आयत नं0 १८७ नाज़िल हुई कि - **"तुम्हारे लिए रोज़ों की रातों में अपनी औरतों से हमबिस्तरी (सम्भोग) करना हलाल है"** उस वक्त यह हुकम पाकर सभी लोग बहुत खुश हुए।

सही बुखारी के बयान से यह साफ हो गया कि पहले रोज़ो में विषयभोग की मनाही थी। बाद में उसकी इजाजत दे दी गई। एक तो इस वजह से कि मियाँ लोग रात में चोरी छिपे, विषयभोग करते थे, अतः उसकी खुली छुट्टी खुदा ने दे दी, ऐसा कुरान कहता है।

बुखारी शरीफ कहती है कि अगर रोज़ा तोड़ने को खांना न मिले तो औरत से हमबिस्तरी (सम्भोग) करके भी रोज़ा तोड़ा जा सकता है।

यह मतलब इसलिए निकलता है कि जब पैगेम्बर साहब को यह बतलाया गया कि एक अंसारी खाना न मिलने के कारण रोज़ा नही खोल सका और बेहोश हो गया है; तो उन्होने बजाय इसके कि उसे खाना देकर रोज़ा खुलवाने की बात कहते, बल्कि उसकी जगह बीबी से रोज़े की रात में हमबिस्तरी (सम्भोग) कर लेने का आसान नुस्ख़ा बता दिया, और इस खुशखबरी से सभी मुसलमान खुशी से झूम उठे।

नोट- खजूर आदि कुछ पदार्थ खाकर रोज़ा खोलने से यह तरीका आसान और बेहतर है, क्योंकि सभी को मज़ा देने वाला जो है।

इस खुशखबरी से मुसलमानों का उस वक्त खुश होना मुनासिब ही था और अब भी है, तथा ताक़यामत हमेशा रहेगा।

रोज़े के दिनों में रोज़ादार को और भी अनेकों बातों की छूट इस्लाम में दी गई हैं, देखिये आगे उनका विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है।

"सम्पादक"

मुसलमानों के लिए कुछ धार्मिक निर्देश

(६) सोती हुई औरत या पागल माशुका से ज़माव अर्थात् सम्भोग किया गया हो तो दोनों का रोजा नही टूटता।

(काज़ी खाँ फ़तावी नवल किशोरी सफ़ा १०१ जिल्द १, दरमुख्तार सफा ११३ जिल्द १, ग़ायतुल औतार सफ़ा ५०५ जिल्द १)

(७) बलात्कार करने के ड़र से मुश्तज़नी अर्थात् हस्तमैथुन करना वाजिब है, और हस्तमैथुन करने वाले का रोजा नही टूटता।

(हिदायत यूसुफी सफ़ा १९९ जिल्द १ व काजी खाँ सफ़ा १०० जिल्द १)

(८) बेहोशी की हालत में औरत से या चौपाये से बदफ़ेली (सम्भोग) करने पर रोज़ा का कफ़फारा (प्रायश्चित) नही आता, इन्ज़ाल (वीर्यपात) हुआ हो, तो भी और न इन्ज़ाल हुआ हो तो भी।

(हिदायत मुस्तफ़ाई सफ़ा १९९)

(९) ज़िन्दा या मुर्दा जानवर या कम उमर के लडकों (गिलमों) से ज़माअ (लौंडेबाजी) करने पर उसके बाद न तो स्नान वाज़िब है और न ही उससे वजू टूटता है अर्थात् हाथ धोने की भी जरूरत नहीं है।

(गायतुल औतार सफा ८३, जिल्द १, व दरमुख्तार जिल्द १ सफा १०१)

(१०) शरमगाह अर्थात् औरत की योनि के सिवाय किसी ओर जगह जमाव (सम्भोग) करने से रोजे का कफ्फारा अर्थात् प्रायश्चित जरूरी नहीं ख़्वाह अर्थात् चाहे इन्जाल अर्थात् वीर्यपात भी हो गया हो।

(हिदायत मुस्तफानी सफा २००)

(११) अगर रोजादार मर्द से अपनी दब्र अर्थात् गुदा में या औरत ने अपनी अंजामनहानी अर्थात् योनि में अंगुली या कोई भी चीज चलाई और वह खुश्क निकली तो रोजा नही टूटता।

(गायतुल औतार जिल्द १ सफ़ा ५१०)

(१२) अगर किसी रोजादार ने किसी चौपाये के ऐज़ो अर्थात् पेशाब की या टट्टी की जगह हाथ लगा कर सहलाया और रोजादार का इन्ज़ाल अर्थात् वार्यपात हो गया तो उससे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता अर्थात् रोजा नहीं टूटता ।

(गायतुल औतार सफ़ा ५१५)

(१३) किसी रोजादार ने अगर औरत की शर्मगाह अर्थात् योनी के बजाय अन्य स्थान जैसे बगल, रान, उरोज–छाती, गाल, नाक, पीठ, या नितम्ब वगैरा में वती अर्थात् मसल कर या दबा कर सम्भोग रूपी आनन्द लिया हो परन्तु वह खलास अर्थात् उसका वीर्यपात न हुआ हो तो

उसका रोजा नहीं टूटता।

(गायतुल औतार सफा ५११ से ५१५तक)

(१४) अगर किसी रोजादार ने किसी औरत की शर्मगाह अर्थात् योनि की तरफ निगाह की और इन्ज़ाल अर्थात् वीर्यपात हो गया, तो रोजा नहीं टूटता।

(गायतुल औतार सफा ५०९)

(१५) अगर किसी रोजादार ने किसी दीवानी अर्थात् कम अकल वाली औरत से विषयभोग कर ड़ाला हो तो दोनों पर कोई पाप या प्रायश्चित अर्थात् कफ्फारा लागू नहीं होता।

(फताबी काजी खाँ जिल्द १ हदीस १०१ व गायतुल औतार जिल्द १ सफा ५१५)

(१६) अगर कोई रोजादार शख्स किसी चौपाये या बेहोश औरत या छोटी बच्ची से बदफेली अर्थात् सहवास करे और उसका इन्जाल अर्थात् वीर्यपात न हुआ हो तो उसका रोजा नहीं टूटता तथा उस पर गुसल अर्थात् स्नान भी वाजिब नहीं होता ।

(फताबी काजी खाँ जिल्द १ सफा १००)

(१७) अगर कोई शख्स अपने ऐजातनासुल अर्थात् लिंग पर कपड़ा लपेट कर रोजे की हालत में औरत से सुहबत अर्थात् सम्भोग करे और अगर कपड़ा सख्त रहे

अर्थात् फटे नहीं तो उस पर न रोजा की कजा लाजिम है और न गुसल अर्थात् स्नान ही लाजिम है यानी न रोजा टूटता है और ना ही उसे नहाना जरूरी है।

नोट– अब तो निरोध का प्रचलन हो जाने के कारण मुसलमानों के लिए और भी आसान हो गया क्योंकि कपड़ा लपेटने की जहमत से भी छुटकारा मिल गया ।

"सम्पादक"

(१८) हजरत आयशा से रवायत है कि रसूले अल्लाह सलालेहुवलैअसलम रमजान के महिने में मेरा बोसा अर्थात् चुम्बन लिया करते थे।

(सही बुखारी हिस्सा १ सफा २३ हदीस ११)

(१९) हजरत आयशा से रवायत है कि रसूले अल्लाह सलालेहुवलैअसलम रोजे की हालत में मेरें साथ सोते थे।

(तिरमिजी हिस्सा १ सफा १६० हदीस २९ व अबू अब अल्सूम)

(२०) कोई भी रोजादार शख्स अगर अपने उस्तादह नंगे जिकर अर्थात् खड़े हुए लिंग को औरत की नंगी फ़ुर्ज अर्थात् योनि के ऊपर रगडे, और बराबर रगडा लगावे तो वजू में कोई खामी अर्थात् कमी नही आती।

(आलमगीरी जिल्द १ सफा १४)

(२१) हैज़ अर्थात् औरत के साथ महावारी की हालत में जमाअ (सम्भोग) हलाल जानना कुफ्र नही अर्थात् जायज है।

(शरीयः अकायद निसफी सफा १४१)

(२२) ऐतकाफ वाला शख्स अगर औरत को शोहबतभरा अर्थात् कामवेग से भरपूर ऐसा बोसा अर्थात् चुम्बन दे कि शर्मगाह और जिकर अर्थात् योनि और लिंग दोनों से पानी टपक पड़े तो ऐतकाफ में किसी किस्म का नुकसान नहीं।

(शरीयः मन्जूमह निस्फी)

(२३) मियाँ–बीबी का जमाअ (सम्भोग) के वक्त एक दूसरे की फुर्ज (गुप्ताँग) पर हाथ फेरना बड़े ही अजर अर्थात् दिलेरी का काम है।

(काजी खाँ जिल्द ४ सफा ३६७)

(२४) अगर काई शख्स अपने लड़के की औरत से हरामकारी करें तो उस पर कोई शरीयः लागू नही।

(काजी खाँ जिल्द ४ सफा ४०६)

नोट– लागू भी कैसे हो? जब पहले ही आँ हजरत मौहम्मद साहब अपने गोद लिए बेटे "जैद" की बीबी "जैनब" को अपनी बीबी बना कर कुछ जरूरत से ज्यादा ही

हिम्मत का काम कर चुके थे।

"सम्पादक"

(२५) हौज में कुत्ता गिर कर मर गया, अगर्चे वह उस हौज़ की तह में भी बैठ गया, तो भी उससे वज़ू करना अर्थात् हाथ पैर धोना जायज है।

(दरमुख्तार जिल्द १ सफा ११)

(२६) हौज में जिस जगह निज़ासत (मल–मूत्र) आदि गिरे, उसी जगह वज़ू करना जायज है।

(आलमगीरी जिल्द १ सफा २३)

(२७) हौज में आदमी का पाखाना–पेशाब पड़ जावे तो भी वह पाक है।

(दरमुख्तार जिल्द १ सफा ९५)

(२८) जनबी का मुश्तेअलम अर्थात् औरत के नहाने पर जो पानी शरीर से उतरता है, वह पानी पाक है, उससे वज़ू किया जा सकता है।

(शरीयः बकाया सफा ४४ व दरमुख्तार जिल्द १ सफ़ा १०२ व आलमगीरी जिल्द १ सफ़ा २९ व हिदायह जिल्द १ सफ़ा ४४, ९५ व १०५)

(२९) शराब का सिरका बन जाए तो वह पाक है।

(हिदायह जिल्द १, सफा ८६ व आलमगीरी जिल्द ४ सफा ४०५ व दरमुख्तार जिल्द ४ सफा २६३)

(३०) शराबी शराब पीने के बाद तीन बार थूक निगल जावे तो उसका मजा अर्थात् जो गुजर चुका यानी शराब पीना दुरस्त है।

(दरमुख्तार जिल्द १ सफा ११६ व हिदायह जिल्द १ सफा १६८ व आलमगीरी जिल्द १सफा ३०)

(३१) जिस औजार पर पाखाना या पेशाब अर्थात् निज़ासत लगी हो, वह तीन बार चाटने से पाक हो जाती है।

(आलमगीरी जिल्द १ सफा ६१)

(३२) निजासत अर्थात् पाखाना--पेशाब भरा कपड़ा इस कदर चाटे कि निजासत का उस पर से असर जाता रहे तो पाक है।

(हिदायह जिल्द १ सफा ११९ व आलमगीरी जिल्द १ सफा ६१)

(३३) छुरी पर निजासत अर्थात् पाखाना–पेशाब लगा हो तो वह पाक है।

(हिदायह जिल्द १ सफा २२२ व आलमगीरी जिल्द १ सफा ६१)

(३४) शराब में चूहा गिर जाये और उसे फटने से पहले ही निकाल लिया गया हो, और फिर वह शराब सिरका हो गयी हो तो पाक है।

(दरमुख्तार जिल्द १ सफा १६१ व हिदायह जिल्द १ सफा २२७ व आलमगीरी जिल्द १ सफा ८०)

(३५) गेहूँ, जौ, शहद, ज्वार और खजूर के द्वारा बनाई गयी शराब हलाल है।

(हिदायह जिल्द ४ सफा ३९८)

(३६) शराब में थोड़ी सी तुरशी अर्थात् नशे का जायका आ जाये तो वह पीना हलाल है।

(आलमगीरी जिल्द ४ सफा ४०६)

(३७) सिरका शराब में ड़ाला गया, उसके बाद उसमें तुरशी अर्थात् नशे का जायका आने पर प्रयोग करना जायज है, अगर्चे शराब गालिब अर्थात् शक्तिशाली हो।

(आलमगीरी जिल्द ४ सफा ४०६)

(३८) सूरा फातिहा को खून या पेशाब से पेशानी अर्थात् माथे पर लिखने से किसी भी शख्स की नकसीर बन्द हो जाती है।

(फताबी काजी खाँ अरबी सफा ३६४)

(३९) दस साल का लडका अगर किसी बालिग औरत से जमाअ अर्थात् सम्भोग करे तो गुसल अर्थात् हाथ पैर धोना जरूरी नहीं है।

(दरमुख्तार जिल्द १ हदीस ८०)

(४०) अपनी ही दब्र अर्थात् गुदा में हशफह अर्थात्

दूसरे का लिंग खुद दाखिल करे तो उस पर गुसल करना जरूरी नहीं है।

(दरमुख्तार जिल्द १ हदीस ८०)

(४१) जानवर अर्थात् चौपाये से या नाबालिग लड़की से ज़िना अर्थात् सम्भोग करे तो वजू नही टूटता अर्थात् दोबारा हाथ धोने की जरूरत नही है।

(आलमगीरी जिल्द १ हदीस ८३)

(४२) किसी चौपाये का लिंग कोई औरत अपनी फुर्ज अर्थात् योनि में दाखिल करे तो उस पर गुसल अर्थात् स्नान जरूरी नही।

(दरमुख्तार जिल्द १ हदीस ८३)

(४३) रबर, लकड़ी या किसी भी चिकने पदार्थ का बना हुआ जिकर अर्थात् लिंग कोई औरत अपनी फुर्ज अर्थात् योनि व मर्द अपनी दब्र अर्थात् गुदा में दाखिल करे तो उस पर गुसल लाज़िम नही ।

(दरमुख्तार जिल्द १ हदीस ८३)

(४४) कम उम्र की नाबालिग लड़की से ज़माअ अर्थात् सम्भोग करे तो ज़िकर अर्थात् लिंग धोना जरूरी नहीं।

(दरमुख्तार जिल्द १ हदीस ८३)

(४५) बेशहवत अर्थात् बिना कामेच्छा वाले लड़के के लिंग को औरत अपनी फुर्ज अर्थात् योनि या दब्र अर्थात् गुदा में दाखिल करे तो गुसल अर्थात् नहाना जरूरी नही।

(दरमुख्तार जिल्द १ हदीस ७४)

(४६) हजरत आयशा फरमाती हैं कि कुछ लोगों ने रसूले खुदा से अर्ज किया कि ऐ नबी करीम हमारे पास लोग गोश्त लाते हैं, और हमको इसका इल्म नही होता कि उन्होंनें उसे जिबह अर्थात् कत्ल करते समय खुदा का नाम लिया या नही? तो हमारे लिए उसका खाना क्या जायज है? तो आपने फरमाया कि --तुम उस पर खुदा का नाम लेकर खा लो।

(सही बुखारी बाब ३१ सफा २३८ हदीस नं० १२३)

नोट-- खुदा बड़ा मेहरबान है, वह तुम्हारे सारे गुनाह बख्शने वाला है। उसके नाम पर जो कुछ भी कर लो सब हलाल है।

"सम्पादक"

(४७) अगर कोई शख्स अपनी दब्र अर्थात् गुदा में कोई गोल चीज इस तरह दाखिल करे कि उसका एक किनारा बाहर रहे, अगर वह खुश्क निकले तो उसका वजू नहीं टूटता।

(काजीखाँ हदीस २६ व गायतुलऔतार हदीस ७०)

(४५) बेशहवत अर्थात् बिना कामेच्छा वाले लड़के के लिंग को औरत अपनी फुर्ज अर्थात् योनि या दब्र अर्थात् गुदा में दाखिल करे तो गुसल अर्थात् नहाना जरूरी नही।

(दरमुख्तार जिल्द १ हदीस ७४)

(४६) हजरत आयशा फरमाती हैं कि कुछ लोगों ने रसूले खुदा से अर्ज किया कि ऐ नबी करीम हमारे पास लोग गोश्त लाते हैं, और हमको इसका इल्म नही होता कि उन्होंने उसे जिबह अर्थात् कत्ल करते समय खुदा का नाम लिया या नही? तो हमारे लिए उसका खाना क्या जायज है? तो आपने फरमाया कि –तुम उस पर खुदा का नाम लेकर खा लो।

(सही बुखारी बाब ३१ सफा २३८ हदीस नं० १२३)

नोट– खुदा बड़ा मेहरबान है, वह तुम्हारे सारे गुनाह बख्शने वाला है। उसके नाम पर जो कुछ भी कर लो सब हलाल है।

"सम्पादक"

(४७) अगर कोई शख्स अपनी दब्र अर्थात् गुदा में कोई गोल चीज इस तरह दाखिल करे कि उसका एक किनारा बाहर रहे, अगर वह खुश्क निकले तो उसका वजू नहीं टूटता।

(काजीखाँ हदीस २६ व गायतुलऔतार हदीस ७०)

(४८) हाथ पर कोई नापाक चीज लगी हो तो उसको तीन बार चाटने से वह पाक हो जाती है।

(काजी खाँ हदीस १४०)

(४९) जिस मुल्क के काफिरों से मुसलमानों की लड़ाई हो, उनसे मुसलमानों को सूद खाना दुरूस्त है।

(हिदायह जिल्द ३ हदीस ९४)

(५०) औरत की शर्मगाह अर्थात् योनि के अन्दर का पानी (रज़) पाक है।

(गायतुल औतार जिल्द १ हदीस १५१–१५२)

(५१) अगर कोई शख्स अपनी लौंडी अर्थात् रखेल को किसी के पास गिरवी रख दे और गिरवी रखने वाला उससे ज़िना (बलात्कार) करे तो उस पर कोई शरीयः लागू नही होती, अगर्चे वह जानता भी हो कि यह लौंडी मुझ पर हराम है।

(हिदायह मुतरज्जिम फारसी जिल्द ४ हदीस ३०२–३०३)

नोट- इस उपरोक्त कथन से साफ पता चलता है कि इस्लाम के अन्दर अमानत में खयानत की जा सकती है।

"सम्पादक"

(५२) अगर एक शख्स मगरिब अर्थात् पश्चिम में है

और औरत मशरिक अर्थात् पूरब में है, और दोनों को सम्भोग का मौका नही मिला है और दोनों का दूर बैठे–बैठे ही निकाह कर दिया गया है, तथा निकाह की तिथि से ६ माह के अन्दर अगर वह औरत बच्चा जने तो वह बच्चा उसी निकाहशुदा मर्द की करामात मानी जावेगी।

(गायतुल औतार जिल्द ४ हदीस २४०)

(५३) गूंगा अगर ज़िना (बलात्कार) करे तो उस पर कोई शरीयः (इस्लामी कानून) लागू नही होता।

(गायतुल औतार जिल्द २ हदीस ४०१)

(५४) अगर मर्द ने अपनी दब्र अर्थात् गुदा में या औरत ने अपनी गुदा या फुर्ज अर्थात् योनि में अंगुली घुमाई और वह सूखी निकली तो उनका रोजा नहीं टूटता।

(गायतुल औतार जिल्द १ हदीस ५१०)

(५५) अगर किसी भी मर्द या औरत ने आपस में किसी के भी गुप्तांग को छू लिया तो उससे उनके रोजे पर कोई फर्क नही पड़ता, अर्थात् रोजा बरकरार कायम रहता है तथा उन्हें वजू अर्थात् हाथ धोने की भी जरूरत नही है।

(गायतुल औतार जिल्द १ हदीस ४० तिरमिजी सफा ४९ हदीस ७३)

(५६) अगर किसी की लकड़ी, घास, दूध, गोश्त,

मेवा, खड़ी खेती तथा मस्जिद का दरवाजा, अगर किसी शख्स का लड़का, चुरा लावे या लूट लावे या किसी का कफन चुरा लावे तो इन तमाम चीजों की चोरी करने वाले पर कोई शरियः लागू नही होती अर्थात् कोई मजहबी दण्ड नही दिया जायेगा और ना ही उसके हाथ काटे जायेगें ।

(अल हिदायह मुतरज्जिम उर्दू शरियह बकाया जिल्द २ हदीस १२४–१२५)

(५७) अगर इमाम या खलीफा ज़िना अर्थात् बलात्कार करें और पकड़े जावें तो उन पर कोई शरीयत अर्थात् मजहबी कानून लागू नहीं।

(गायतुल औतार जिल्द २ हदीस ४१७)

(५८) अगर औरत मर्द की और मर्द औरत की शर्मगाह अर्थात् गुप्तांग पर बामशक्कत हाथ फिराये तो दोनों के वजू में कोई कमी नही आती, अर्थात् उन्हें हाथ धोने की जरूरत नहीं है।

(शरह मन्जूमा अलामह निसफी)

(५९) जिस औरत का हैज़ अर्थात् मासिक धर्म रूक गया हो, और अगर मर्द उस पर सवारी करे तो दुरूस्त और उसे नहाने की जरूरत नहीं है।

(शरह मन्जूमा अलामह निसफी)

(६०) अगर रोजा रखने वाला मैदान में सो जावे और उसका मुहँ खुला रह जावे और इत्तफाक से बारिश का एक कतरा (बूँद) उसके मुहँ में पड़ जावे तो रोजा खत्म हो जाता है।

(इशवाह दबहर अलरालिफ़)

(६१) अगर कोई अपनी प्रेमिका की फुर्ज अर्थात् योनि पर उसके सोने की हालत में प्यार भरा हाथ फिरावे और प्रेमिका को पता भी न चले तो समझो रोजा साबित हो गया।

(शरीयः)

(६२) फुर्ज़ अर्थात् योनि या दब्र अर्थात् गुदा के अलावा किसी अन्य अंग में इन्जाल अर्थात् वीर्यपात हो गया हो तो एतकाफ़ में कोई खामी नही आती।

(हिदायः)

(६३) मस्जिद की छत पर चलना हराम है।

(शामी)

(६४) अजनबी औरत की फुर्ज अर्थात् योनि पर बावजू हाथ फेरना दुरूस्त है। तथा वजू भी बहाल है।

(हिदायः अल्फिकह)

(६५) अगर किसी शौहर वाली औरत से जिना अर्थात् बलात्कार किया गया और दावा कर दिया कि यह मेरी औरत

है, तो जबर्दस्ती उसे इद्दत्त अर्थात् तन्हाई मुकर्रर अवधि गुजारनी पड़ेगी और ज़ामी साहब को मेहर देनी पड़ेगी।

(जवाहर अलफतादी और हीरा अलफ़िकह)

(६६) रोजे में दब्र या फुर्ज अर्थात् गुप्तांगों में अगुँली डालो, अगर वह खुश्क निकले तो रोजा फासिद नही अर्थात् नही टूटता।

(आलमगीरी जिल्द १ हदीस ८५३)

(६७) इस्लाम में कोई भी आदमी अपने रिश्तेदार की औरत की कमर, चेहरा, पिण्डलियाँ और बाहों को देख सकता है।

(हिदायः जिल्द ४ हदीस ४४५)

(६८) ऊपर से उन गुप्तागों को छू भी सकता है।

(हिदायः जिल्द ४ हदीस ४४६)

(६९) अगर ज़िकर अर्थात् लिंग पर कपड़ा लपेटकर विषय़-भोग किया और जमाअ अर्थात् सम्भोग में ज़िना की लज्जत अर्थात् बलात्कार का मजा पाया तो गुसल अर्थात् स्नान जरूरी है वरना नही।

(गायतुल औतार जिल्द १ हदीस ८२)

(६०) अगर रोजा रखने वाला मैदान में सो जावे और उसका मुहँ खुला रह जावे और इत्तफाक से बारिश का एक कतरा (बूँद) उसके मुहँ में पड़ जावे तो रोजा खत्म हो जाता है।

(इशवाह दबहर अलरालिफ़)

(६१) अगर कोई अपनी प्रेमिका की फुर्ज अर्थात् योनि पर उसके सोने की हालत में प्यार भरा हाथ फिरावे और प्रेमिका को पता भी न चले तो समझो रोजा साबित हो गया।

(शरीय:)

(६२) फुर्ज़ अर्थात् योनि या दब्र अर्थात् गुदा के अलावा किसी अन्य अंग में इन्जाल अर्थात् वीर्यपात हो गया हो तो एतकाफ़ में कोई खामी नही आती।

(हिदाय:)

(६३) मस्जिद की छत पर चलना हराम है।

(शामी)

(६४) अजनबी औरत की फुर्ज अर्थात् योनि पर बावजू हाथ फेरना दुरूस्त है। तथा वजू भी बहाल है।

(हिदाय: अल्फिकह)

(६५) अगर किसी शौहर वाली औरत से जिना अर्थात् बलात्कार किया गया और दावा कर दिया कि यह मेरी औरत

है, तो जबर्दस्ती उसे इद्दत्त अर्थात् तन्हाई मुकर्रर अवधि गुजारनी पड़ेगी और ज़ामी साहब को मेहर देनी पड़ेगी।

(जवाहर अलफतादी और हीरा अलफ़िकह)

(६६) रोजे में दब्र या फुर्ज अर्थात् गुप्तांगों में अगुँली डालो, अगर वह खुश्क निकले तो रोजा फासिद नही अर्थात् नही टूटता।

(आलमगीरी जिल्द १ हदीस ८५३)

(६७) इस्लाम में कोई भी आदमी अपने रिश्तेदार की औरत की कमर, चेहरा, पिण्डलियाँ और बाहों को देख सकता है।

(हिदाय: जिल्द ४ हदीस ४४५)

(६८) ऊपर से उन गुप्तागों को छू भी सकता है।

(हिदाय: जिल्द ४ हदीस ४४६)

(६९) अगर ज़िकर अर्थात् लिंग पर कपड़ा लपेटकर विषय़-भोग किया और जमाअ अर्थात् सम्भोग में ज़िना की लज्जत अर्थात् बलात्कार का मजा पाया तो गुसल अर्थात् स्नान जरूरी है वरना नही।

(गायतुल औतार जिल्द १ हदीस ८२)

(७०) इमाम हबू हनीफा के नजदीक मुहर्रमात अब्दियह जिनसे निकाह शरीयः से जायज नही उन (माँ, बहन, बेटी, वगैरा) से वती अर्थात् सम्भोग करने मे कोई हद अर्थात् जुर्म नही है।

(बाब अलवती हिदायह यूसुफी जिल्द १, हदीस ४९५-४९६)

नोट- यहां हदीस नं. ७० में इमाम अबू हनीफा साहब का कहना है कि जिनसे मुस्लिम कानून के अनुसार निकाह नही किया जा सकता जैसे सगी बहन या माँ अथवा बेटी, परन्तु उनसे सम्भोग करने में कोई जुर्म नही अर्थात् उनसे सम्भोग का लुत्फ़ उठाया जा सकता है।

"सम्पादक"

(७१) अगर किसी मर्द ने किसी औरत की शर्मगाह अर्थात् योनि को देख व छू लिया जो शोहबत अर्थात् सहवास की नजर से हो या औरत ने मर्द की शर्मगाह अर्थात् गुप्ताँग को शोहबत अर्थात् सहवास की नजर से देख या छू लिया तो उस औरत की माँ और बेटी उस मर्द पर हराम हो गयी।

(हिदायह जिल्द ४ हदीस २८१)

(७२) अगर गुप्तांगों को छूने से इन्जाल अर्थात् वीर्यपात हो जायें तो हुरमत अर्थात् बेइज्जती साबित न होगी,

इसी तरह अगर खिलाफे फितरत वती (अप्राकृतिक सम्भोग) किया अर्थात् गुदा में प्रकृति के खिलाफ़ सम्भोग किया तो भी हुरमत अर्थात् बेइज्जती नही है।

(हिदायह हदीस २९०)

(७३) औरत का किसी भी अजनबी को नाफ अर्थात् नाभि के ऊपर का तमाम हिस्सा और रानों के तले तक का हिस्सा दिखाना दुरूस्त है।

(फतादी मुतालिब इल्माहे मीन बर्क हदीस १४४)

(७४) वह कीड़े जो पाखाने अर्थात् टट्टी में पैदा होते हैं, पाक हैं।

(खजानतः अल रवायत खाला मतह अलफतादी नीज नअफ अलमुफती सफा ४०)

(७५) कबरों पर गुलाब का फूल चढ़ाना दुरूस्त है।

(फतादी गरायब बर्क सफा १७७)

(७६) अजनबी औरत से पैरों की चम्पी (मालिश) कराना दुरूस्त है।

(फतादी गरायब सफा २४३)

(७७) ज़िबह अर्थात् अल्लाह का नाम लेकर काटे गये कुत्ते, भेड़िये, वगैरा हराम जानवरों की हड्डियों का हार पहिन कर नमाज पढ़ना दुरूस्त है।

(मनीतह उल मसली उर्दू सफा ५४).

(७८) अल्लाह के नाम पर ज़िबह अर्थात् कत्ल किये हुए कुत्ते वगैरा हराम जानवरों की खाल पहिन कर नमाज पढ़ना दुरूस्त है।

(हिदायह जिल्द १ सफा २२ शरियः वकायह सफा २४)

(७९) अगर अण्डा मुर्गी के पेट से निकलते ही किसी के पानी या शोरबे में गिर पड़े तो वह नापाक नही होता है।

(मनीतह उल् मसली मुतरञ्जिम फारसी सफा ७४)

(८०) ज़नवी मर्द या हैज़ वाली औरत अर्थात् कामवासना में लिप्त मर्द या मासिक धर्म से ग्रस्त औरत गुसल अर्थात् स्नान के बिना ही नापाक हालत में कुरान मजीद को दुआ की नियत से, कम या पूरी आयत कुरान से समझ कर पढ़े तो दुरूस्त अर्थात् जायज़ है उन पर गुसल अर्थात् स्नान करना लागू नही होता।

(मनीतह अल मसली मुनरञ्जिम फ़ारसी सफ़ा २६)

(८१) जन्नत में गिल्मेबाजी अर्थात् लौंडेबाजी होगी। तथा अगर बेहोशी की हालत में भी किसी के साथ बदफैली करे तो भी रोजे पर कोई असर नही आता अर्थात् रोजा बरकरार कायम रहता है।

(दरमुख्तार जिल्द २ सफा १०६ तथा जिल्द ३ सफा १७१)

(८२) अपनी जौरू अर्थात् औरत या अपनी खिदमतगुजार रखैल, नौकरानी के हाथ से मुश्तज़नी अर्थात् हस्तमैथुन कराना जायज. है।

(शानी जिल्द १ सफा १०९)

(८३) ज़िना अर्थात् बलात्कार के खौफ़ अर्थात् डर से मुश्तज़नी अर्थात् हस्तमैथुन करने वाले को सबाब मिलेगा।

(तहतावी मिश्री जिल्द १ सफा ३८४)

(८४) रोजे की हालत में चौपाये या जानवर से जमाअ अर्थात् सम्भोग करने से रोजा नही टूटता है।

(दर मुख्तार जिल्द २ सफा १०९)

(८५) अगर कुत्ते को लिए हुए नमाज पढ़े तो नमाज फ़ासिद अर्थात् खराब नही होती।

(दर मुख्तार जिल्द १ सफा १५३)

(८६) अगर कोई नमाजी, नमाज की हालत में औरत की शर्मगाह अर्थात् योनि को शहबत अर्थात् सम्भोग या कामवासना की नजर से देखे तो नमाज बातिल अर्थात् खण्डित, बेअसर या झूठी नही होती।

(भाराफोल गलाह मिश्री जिल्द १ सफा २००)

(८७) औरत या जानवर के बच्चा पैदा होते वक्त जो

रतूबत अर्थात् गीलापन या लेस लगी होती है, वह पाक है।

(दरमुख्तार मिश्री जिल्द १ सफा २५७)

(८८) हैज के वक्त अर्थात् महिने से होने वाले समय में औरत की शर्मगाह अर्थात् योनि से जो रतूबत अर्थात् गीला पदार्थ (खराब खून) निकलता है, वह पाक है।

(दरमुख्तार मिश्री जिल्द १ सफा १२३)

(८९) रण्डी के लिए ज़िना की कमाई अर्थात् मैथुन के द्वारा की गई आमदनी पाक व हलाल है।

(बहासिया चलमी अली शरह बकाया मतबूआ नवल किशोर छापा सफा २९८)

(९०) अगर खून से कपड़ा नापाक हो गया हो तो, उसे पेशाब से धो लेने पर वह पाक हो जाता है।

(फतहुल कदीर जिल्द १ सफा ४७)

(९१) दो रोजे वाली औरतें आपस में सम्भोग की नियत से व्यवहार करें, और इन्जाल अर्थात् वह झड़ी न हो अर्थात् उनकी योनि में रज के द्वारा गीलापन न आया हो तो उनका रोजा फ़ासिद नही होगा अर्थात् रोजा नही टूटेगा।

(भराकी उलगलाह मिश्री जिल्द १ सफा ३८४)

नोट—यहाँ समलैगिंकता को जबर्दस्त बढ़ावा दिया गया है।

"सम्पादक"

(९२) सूअर की रंगी हुई खाल पहिन कर नमाज पढ़े तो उसकी नमाज जायज है।

(मनीतुल मसल मुतरज्जिमा फारसी सफा ९१)

(९३) अपनी औरत से लिंग चुसवाना जायज है। अर्थात् कोई मर्द अगर अपनी औरत से मुह द्वारा अपने जिकर (लिंग) को चुसवाता है तो उसे शरीयः के मुताबिक जायज करार दिया गया है।

(मतालिबुल्मोमिनीन)

(९४) लौंडेबाजी शरीयः के अनुसार जायज है। उस पर कोई जुर्म लागू नहीं।

(दरमुख्तार जिल्द ३ सफा १७०)

(९५) अगर औरत के पिस्तान अर्थात् स्तन या अगुँली नापाक हों तो उसे चाटने से पाक हो जाते हैं।

(दरमुख्तार जिल्द १ सफा १५०)

(९६) जनवी मुस्तेअमल पाक है, अर्थात् मर्द और औरत का सम्भोग करने के बाद, उनके पानी का धोवन पाक है।

(दरमुख्तार जिल्द १ सफा १०२ व शरह बकाया सफा ४४)

(९७) जिसने नो प्याले शराब के पिये और नशा नही आया, फिर दसवाँ प्याला पिया, तो नशा हो गया। तो दसवाँ

प्याला शराब का हराम हुआ, पहिले नो प्याले हलाल हुए। अर्थात् जब तक नशा न हो, तब तक पीना दुरूस्त है।

(दर मुख्तार जिल्द ४ सफा २५४)

नोट– अब कोई इन बेवकूफों से पूछे कि वह शराब ही क्या हुई? जो नशा न करे। हाँ सुना है कि वह जन्नत में जरूर हासिल होती है।

"सम्पादक"

(९८) जारी अर्थात् बहते हुए पानी में अगर किसी ने पेशाब कर दिया तो नशेब अर्थात् बिना नशे वाली शराब की तरह उससे वजू करना जायज है।

(हिदायह जिल्द १ सफा १३ दरमुख्तार जिल्द १ सफा १४)

(९९) कुत्ता बहते पानी में बैठे तो नशेब अर्थात् बिना नशे वाली शराब की तरह उससे वजू करना जायज है अगर वस्फ़ अर्थात् उस पानी का गुण न बदले।

(शरह बकाया सफा ४९, हिदायह जिल्द १ सफा १३, आलमगीरी जिल्द १ सफा १३)

नोट– भला यह कैसे सम्भव है कि कुत्ते के बैठने का असर पानी पर न पड़े।

"सम्पादक"

(१००) सुअर का बाल थोडे पानी में भी मिल जावे

तो भी पानी पाक है।

(हिदायह जिल्द ३ सफा २७१)

(१०१) इमाम अबू हनीफ़ा से रवायत है कि इग्लामबाजी अर्थात् लौंडेंबाजी (अप्राकृतिक सम्भोग) करने से हज़ खराब नही होता, अर्थात् हज के दौरान यह क्रिया की जा सकती है।

(क़ाजी खाँ सफ़ा १३७ से १४१ तक)

(१०२) बादशाह किसी से भी अगर बदफेली अर्थात् बुरा कर्म करे तो उस पर कोई शरीयः लागू नही है। भले ही वह दण्ड का अधिकारी है, तो भी उसे शरीयः के मुताबिक कोई दण्ड नही दिया जा सकता अर्थात् उसके लिए सब जायज है।

(हिदायह सफा ५००)

(१०३) गलीज नजासत जैसे टट्टी व खून, पेशाब, शराब, मुर्गे की बीट और गधे का पेशाब आदि नापाक चीजें चाहें वह एक दिरहम बराबर भी लगा हुआ हो तो भी नमाज जायज हो जायेगी।

(हिदायह मुस्तफाई जिल्द १ सफा ५७)

(१०४) माल अर्थात् दौलत कमाने की गरज से लम्बा

सफर करना हराम है।

(किताबी सफा १४१ अलमोंर्मानीन)

(१०५) दब्र अर्थात् गुदा छूने से हुरमत मसाहिरत अर्थात् लज्जा व शर्म लाजिम आती है, परन्तु गुदा में जमाअ (सम्भोग) करने पर वह जायज है अर्थात् लज्जा व शर्म से मुक्त है।

(इशबाहा बालनता इरफान सानी)

(१०६) नमाज के बीच में **"बिस्मिल्लाह"** शब्द को जोर से पढ़ना, हराम है।

(फिताबी सफा १४२ अलमोंर्मानीन)

(१०७) अगर कोई औरत मुख्तलिफ़ अर्थात् अलग अलग चार मज़लिसों अर्थात् सभाओं में बलात्कार का इकरार करे अर्थात माने और जामी अर्थात् बलात्कारी सिर्फ इतना कह दे कि नही मैंने इससे निकाह किया है तो बस ! उस बलात्कारी पर कोई दण्ड लागू नही है।

(फिताबी काजी खाँ जिल्द नं० ४ हदीम ४०७)

(१०८) मर्द अपनी बीबी का दूध नमाज के दौरान अगर चूसे और पी ले तो कोई हरज नही।

(फिताबी काजी खाँ जिल्द -४ हदीम १८१)

(१०९) मुर्दा बकरी का दूधा पीना दुरूस्त है।

(फतावी)

(११०) हैज (महावारी) की हालत में औरत से जमाअ (सम्भोग) करना हलाल है, इसमें कोई कुफ्र नहीं।

(शरह अकायद निसफी सफा १४१)

(१११) अगर कोई मर्द अपनी औरत की अवसाद वाली स्थिति में उसकी फुर्ज (योनि) में अपना जिकर (लिंग) फँसा कर उससे कहे कि या तो मैं तुझसे जमाअ (सम्भोग) करूँ अन्यथा तुझे तलाक है, और वह उसकी फुर्ज में ही फंसाये हुए मीठी–मीठी लज्जत भरी बातें करते हुए चस्के लेता रहे, और यहाँ तक कि इन्जाल (वीर्यपात) भी अगर हो जावे, और जब सहवास के बाद लिंग योनि से बाहर निकाले तो खाविन्द के द्वारा दी गई तलाक में कोई फर्क नही आयेगा।

(फितावी काजी खाँ जिल्द १ सफा १०१)

(११२) अगर कोई जान–बूझ कर रमजान के दिनों में औरत से सम्भोग करे और हिनोज कफ्फारा न दे तथा दूसरे दिन भी सम्भोग करे तो उसे एक ही कफ्फारा (प्रायश्चित) देना होगा।

(फितावी काजी खाँ जिल्द १ सफा १०२)

(११३) अगर कोई शख्स रमजान में जमाअ (सम्भोग) करके रोजा तोडे और हिनोज कफ्फारा (प्रायश्चित) न करे, तथा दूसरे साल भी ऐसा ही करे तो उसे केवल एक ही कफ्फारा देना होगा, बाकी सब माफ हो जायेगें!

(फिताबी काजी खाँ जिल्द १ सफा १०३)

(११४) गाढ़ी निजासत अर्थात् पाखाना आदि सिर्फ खुरचने या मिट्टी से रगड़ने मात्र से ही पाक साफ हो जाती है। (उन्हे पानी से धोने की कोई आवश्यकता नही है)

(शरीयः अलफकह)

(११५) अगर बावजू आदमी कुँए में वजू कर ले तो वह कुँआ नापाक हो जाता है।

(शरीयः अलफकह)

(११६) लौंड़ी अर्थात् रखैल का दूध फरोख्त करना अर्थात् बेचना दुरूस्त है।

(फिताबी गरायब सफ़ा २४८)

(११७) दरिन्दे मजबूअह अर्थात् खूँखार कत्ल किये हुए जानवर की चरबी को औरतों की इन्जाल नहानी अर्थात् योनि में लगाना दुरूस्त है।

(फिताबी खजानतह अल रवायत सफा २३४)

(११८) शतरंज खेलना जायज है,उसमें कोई हर्ज नहीं है।

(फिताबी खजानतह अल रवायत सफा ११०)

(११९) अपनी लौंडी को ज़िना (व्यभिचार) के कारण मार डालना और वह भी जहर देकर, दुरूस्त है।

(फिताबी खजानतह अल रवायत सफा ४१७)

(१२०) वालदेन अर्थात् माता–पिता की कब्र को बोसा (चुम्बन) देना दुरूस्त है।

(फिताबी गरायब सफा १७७)

(१२१) मियाँ–बीबी का जमाअ अर्थात् सम्भोग के वक्त एक दूसरे की शर्मगाह अर्थात् गुप्तागों पर हाथ फेरना बड़े ही अजर अर्थात् सबाब व लुत्फ और हिम्मत का काम है।

(फताबी काजी खाँ जिल्द ४ सफा ३६७)

(१२२) तलाक शुदा बीबी से भोग करे और कहे कि मैं जानता हूँ कि यह हराम है, फ़िर भी उस पर कुछ हद अर्थात् जुर्म नही।

(काजी खाँ जिल्द ४ सफा ४०६)

(१२३) बालिग औरत किसी लडके को बुलाकर अपनी

हाज़त अर्थात् कामेच्छा पूरी करवाये तो शरीयः (इस्लामी कानून) की दृष्टि से उस औरत पर कुछ हद नही, अगर्चे वह यह भी कहे कि मैं जानती हूँ कि ये हराम है।

(काजी खाँ जिल्द ४ सफा ४०६)

(१२४) **"लाइलाहि इल्लिलल्लाह"** कहने वाला व्यक्ति अगर चोरी और बलात्कार भी करे तो भी जन्नत (स्वर्ग) में दाखिल होगा।

(मिश्कात किताबुल ईमान जिल्द १सफा १२ व १३ हदीस २४)

(१२५) खुदा कहता है मुझे आदम की ये औलाद तकलीफ़ देती है, और जमाना मैं ही हूँ।

(मिश्कात किताबुल ईमान जिल्द १सफा ११ हदीस २०)

(१२६) जमीन और आसमान बनाने से पचास हजार साल पहले अल्लाह ने इन्सान की तकदीर बनाई। और अल्लाह का तख्त पानी पर कायम था।

(मिश्कात किताबुल ईमान जिल्द १सफा २८ हदीस ७३)

(१२७) हजरत मौहम्मद ने कहा था कि मेरी उम्मत (मान्यताओं) के ७३ फिरके होगें, उनमें से एक फिरका जन्नती और बाकी ७२ दोजखी होगें । अर्थात् उनमें से एक ही स्वर्ग में जायेगा बाकी सब नरक अर्थात् दोजख में भेजे जायेंगे।

(मिश्कात कि

नोट– इसमें जाहिर है कि ७३ में से ७२ तरह के मुसलमान दोजखी हैं, अर्थात् सभी को जन्नत नही मिलेगी, और वे ७२ किस्म के मुसलमान काफिर माने गये हैं। काफिर वही है जो हजरत मुहम्मद साहब व अल्ला पर ईमान, नही लाता भले ही वह ईसाई, मुसलमान, सिक्ख यहूदी, हिन्दू, पारसी आदि कोई भी क्यों ना हो।

"सम्पादक"

(१२८) जहाँ तस्वीर और कुत्ता हो वहाँ रहमत का फरिश्ता नही आता है।

नोट– इस्लामी फरिश्ते से तो कुत्ता ही ताकतवर है, या वह निर्जिव तस्वीर ज्यादा ताकत रखती है, जिसके डर से रहमत का फरिश्ता दूर भागता है।

"सम्पादक"

(१२९) एक कुँए में हैज (औरतों की महावारी) के चिथड़े और मरे हुए कुत्ते डाले जाते थे, तो कुछ लोगों ने यह देखकर आँ हजरत से इस कुएँ के बारे में पूछा तो हजरत ने कहा कि पाक है।

(मिश्कात जिल्द १ हदीस ४३८)

(१३०) यहूदी लोगों की औरतें हैज (महावारी) के ३१ दिनों में अपनें शोंहरों के पास नही जाती थी, परन्तु यहूदी

लोगों से जब न रहा गया तो उन्होंने इसकी बाबत आँ हजरत से पूछा तो उन्होने कहा कि उनकी शर्मगाह में सम्भोग के अलावा बाकी गुदा मैथुन आदि सब कुछ कर सकते हो, सब जायज है।

(मिश्कात जिल्द १ हदीस ४९८)

(१३१) जब आयशा (आँ हजरत की सबसे प्रिय बीबी) हैज (महावारी) से होती थी, तो आँ हजरत तहबन्दी अर्थात् नीचे की जगह पर कपड़ा बँधवा कर उससे लिपट जाया करते थे।

(मिश्कात जिल्द १ हदीस ४९९)

(१३२) हैज अर्थात् महावारी की हालत में नाफ (नाभि) से ऊपर कुछ भी कर सकते हो।

(मिश्कात जिल्द १ हदीस ५०८)

(१३३) रसूल ने फरमाया कि कयामत के दिन खुदा कहेगा कि मैं बीमार प्यासा और भूखा था, मेरी खबर तक भी नही ली।

(मिश्कात जिल्द १ सफा ३३८ हदीस १४१५)

(१३४) खाल में लपेट कर कुरान को अगर आग में डाल दिया जाये तो खाल नही जलेगी और कुरान महफूज़

अर्थात सुरक्षित रहेगी।

(मिश्कात जिल्द २ हदीस ३५८)

नोट– हमने एक बार इस चमत्कारिक नुस्खे को आजमाया था, जिसे हमने एक बार कुराने मजीद को खाल में लिपटवा कर चित्ता में रखवा दिया था, बाद में मुर्दे की हडियाँ तो मिली, परन्तु कुरान और उस खाल का कहीं अता–पता अर्थात् नामों–निशान तक नही मिला, तब हमने सोचा कि जिसका ज्ञान था वह उसके पास पहुँच गया होगा। हमारे तो उसके निमित्त यह नुस्खा आजमाने में पाँच सौ रूपये के लगभग और खर्च हो गये और नुस्खा भी फ़ेल हो गया ...... या अल्लाह! अपने बन्दों पर रहम कर।

"सम्पादक"

(१३५) खुदा ने कुरान सुनने को कान लगाया।

(मिश्कात जिल्द २ हदीस ४६०)

(१३६) अल्लाह, फरिश्तों से पूछता है कि मेरे बन्दे क्या कर रहे हैं? और तुम कहाँ से चले आ रहे हो?

(मिश्कात जिल्द २ हदीस ४८१)

(१३७) हजरत आयशा की उम्र शादी के वक्त छः साल की थी, तथा सम्भोग के वक्त नौ साल की और

अटठ्ारहवीं साल में बेचारी बेवा (विधवा) हो गई।

(मिश्कात जिल्द ३ हदीस ५०)

नोट– जबकि आँ हजरत की उम्र आयशा से निकाह के वक्त ४० वर्ष की थी, अतः आयशा के वैधव्य (विधवापन) होने का दोष हजरत मौहम्मद साहब के ऊपर आता है ।

अब देखिये कयामत के दिन अल्लाह ताला इस बारे में मुहम्मद साहब के खिलाफ क्या फैसला सुनाता है? या उसे अपना रसूल मान कर उसकी सब गलतियां माफ करता है?

"सम्पादक"

(१३८) जो चोपायों से अपना मुह काला करे अर्थात् उनसे बदफैली करे तो उसे कोई सजा न दी जावे। तथा आकाश से तारा टूटना–जिन्नात् को मारना है।

(मिश्कात जिल्द ४ हदीस ४८४–४८५)

(१३९) अगर कोई शख्स अकेले में किसी अजनबी औरत से जिना (बलात्कार) के अलावा बाकी सब कुछ कर डाले, और वजू करके नमाज पढ़ ले तो उसके सब गुनाह माफ हैं।

(तिरमिजी जिल्द–२ सफा ५६४, हदीस १२५९)

नोट– अर्थात् चुम्बन, व अन्य सभी हरकतें जो कामवासना की पूर्ति में सहायक हैं वह सभी जायज हैं बशर्ते कि ये सब इन्ज्वाय अर्थात मौजमस्ती करके, बस ! नमाज पढ़ ले। तब तो खास कर उन कामी बूढ़ों के लिए जिनकी इन्द्रियां शिथिल पड़ गयी हैं, जो सम्भोग के काबिल नही रहे उनके लिए तो यह हदीस ने मौजमस्ती करने का अच्छा नायाब रास्ता निकाल दिया है, उन सभी को इस हदीसकर्त्ता का शुक्रगुजार होना चाहिये।

"सम्पादक"

(१४०) कयामत के दिन इतना पसीना आयेगा कि ज़मीन पर सत्तर गज पानी चढ़ जायेगा।

(मिश्कात जिल्द ३ हदीस ९९०)

(१४१) जन्नत अर्थात् स्वर्ग में ८० हजार खिदमतगार और ७२ बीबियाँ प्रत्येक मुसलमान को हासिल होंगी।

(मिश्कात जिल्द ४ हदीस १०९१)

(१४२) कयामत को दोजख अर्थात् नरक हाजिर की जायेगी, उसके ७० हजार लगामें लगी होंगी, हर लगाम को ७० हजार फरिश्ते थामे होगें।

(मिश्कात जिल्द ४ हदीस ११०७)

(१४३) खुदा का तख्त पानी पर था।

(मिश्कात जिल्द ४ हदीस ११३९)

(१४४) हजरत मौहम्मद साहब का आयशा से हैज़ की हालत में मुबाशिरत अर्थात सम्भोग करना ।

आयशा रजिउल्लाह अन्सा से रवायत है कि–मैं (आयशा) और नबी (सलाल्लेहुवलैहि अस्लम) एक बर्तन से वजू करते थे, अर्थात् हाथ धोते थे, और दोनों नापाक हालत में होते थे, और आप मुझे हुकम देते थे, बस! मैं इजार अर्थात् वह पोशाक जिसमें सहवास करने में कोई परेशानी न हो, उसे पहनती, और आप मुझसे सम्भोग करते थे, जबकि मैं उस समय हैज अर्थात् मासिक धर्म से ग्रस्त होती थी, और आप बहालत एतकाफ़ अर्थात् एकान्तवास की तरह अपना सिर मेरी तरफ कर लेते थे, और मैं उसे (खून को) धोती थी, हालाँकी मैं बहालत हैज़ के होती थी।

(बुखारी हिस्सा १ सफा ७६ हदीस २०८)

(१४५) हजरत मौहम्मद साहब रोजे में औरत का बोसा अर्थात् चुम्बन लेते थे ।

आयशा रजिउल्लाह से रवायत है, उन्होने कहा कि नबी

करीम आँ हज़रत साहब मेरा बोसा अर्थात् चुम्बन लेते थे, हालांकि आप रोजे से होते थे, और आप अपनी पेशाबगाह अर्थात मूत्रेन्द्रिय (लिंग) पर बनिस्वत तुम्हारे ज्यादा काबूयाफता थे। अर्थात् वह तुम्हारी तुलना में कामवासना पर ज्यादा काबू रखते थे।

(बुखारी शरीफ हदीस ११७ सफा ३०२ जिल्द १)

(१४६) जन्नत (स्वर्ग) में पेड़ हैं ।

जन्नत में एक पेड़ है कि सवार उसके साये में सौ साल चल कर भी उसको खत्म न कर सकेगा।

(बुखारी शरीफ हदीस २०३ सफा ९४ जिल्द २)

(१४७) हज़रत के बाद कुरान को चार लोगों ने जमा अर्थात् एकत्रित किया था ।

हजरत अन्स रजीउल्लाह से रवायत है, उन्होनें कहा नबी सलालेहुवलेहिअस्लम के जमाने में चार शख्सों ने कुरान शरीफ की आयतों को एक जगह जमा किया, जिनमें (१) हजरत अली, (२) हजरत अबू जैद, (३) हजरत जैदबिन सावित रजिउल्लाह, (४) हजरत अन्स।

(बुखारी शरीफ हदीस ३८९ सफा १६६ जिल्द २)

(१४८) अजल अर्थात् जिससे सन्तानोत्पत्ति न हो ऐसा सम्भोग करना जायज है।

अजल से तात्पर्य यह है कि इन्जाल अर्थात् वीर्यपात होने के करीब मर्द अपने जिकर (लिंग) को औरत की फुर्ज़ (योनि) से निकाल कर बाहर मन्जल (स्खलित) करता है, ताकि नुत्फा करार न पाये अर्थात् गर्भ न रह जाये, इग्लामबाजी अर्थात् गुदा मैथुन जो औरत या मर्द के पीछे से भोग करना होता है, यह प्रक्रिया भी **"अजल"** कहलाती है, क्योकि इस क्रिया से भी हमल (गर्भ) करार नही पाता, अर्थात् गर्भ रहने का ड़र नही रहता।

(तिरमिजी हदीस ९९८ सफा २२८)

(१४९) लौडेंबाजी करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नही है!

अबू सईद अन्सारी रज़ीउल्लाह से रवायत है कि हम रसूले खुदा सलेल्लाहुवलैहिअस्लम के साथ गजदह बनी मजतलक नामक स्थान में थे कि हमको अरब के कैदी हाथ लगे, बस! हमको औरतों की ख्वाहिश हुई और अपनी बीबियों की जुदाई हम पर सख्त गुजरी और हमने अजल (गुदा मैथुन) करना चाहा, और अजल का इरादा भी कर लिया, और अजल करने भी लगे, हालाँकि रसूले खुदा हजरत

तनासुल (लिंग) कपड़े के फुन्दे की तरह ढ़ीला है। यह सुन कर हजरत ने फरमाया कि शायद तू फिर रफायत फ़रती की तरफ़ जाना चाहती है, पर तू नही जा सकती, जब तक कि शरिय: के मुताबिक वह अब्दुल रहमान बिन ज़बीर तेरा और तू उसका सम्भोग के द्वारा जायका न चख ले अर्थात् उससे हमबिस्तर न हो लो तब तक तू अपने पहले खाविन्द के पास नही जा सकती।

तिरमिजी हदीस के सफा 234 व 235 पर इसी घटना को कुछ इस तरह बयान किया गया है, देखिये–

तू नही जा सकती जब तक कि तू अब्दुल रहमान बिन ज़बीर का शहद न चख ले और तेरा शहद वह न चख ले, बाकी किस्सा ऊपर लिखे के मुताबिक ही है।

नोट– इसमें औरत का शहद चखने की बात मुसलमानों को बताई गई है, इस शहद का जायका मीठा होता है या नमकीन? यह तो हमारे मुसलमान भाई ही जानते हैं।

"सम्पादक"

(१५१) इस्लाम में इग्लामबाजी अर्थात् लौंडेबाजी की मिसालें।

इमाम जरजामी से रवायत की है कि–इमाम मलिक से

फ़ इन् तल्ल–कहा फ़ ला तहिल्लु लहू मिम्बअ्-दुहत्ता तन्कि–ह जोजन् गैरहू..........॥

(कुरान मजीद सूरा बकर आयत २३०)

अर्थात् फिर अगर कोई शौहर अपनी बीबी को दो तलाकों के बाद तीसरी तलाक दे दे तो उसके बाद जब तक वह औरत किसी दूसरे मर्द के साथ निकाह करके सम्भोग न करा ले और उससे तलाक न ले ले, तब तक वह अपने पहले पति के लिए हलाल नही है, हाँ! अगर यह सब होने के बाद अगर वह औरत चाहे तो पहले मर्द से रजूअ (समझोता) कर ले तो उसमें कोई गुनाह नही। बशर्ते कि दोनों यकीन करें कि हम खुदा की बांधी हुई सिमाओं में सही–सलामत रह सकेगें। और यह सब खुदा की ओर से बाँधी गयी हदें हैं।

इसी सम्बन्ध में एक वाकया का जिकर हदीस में कुछ इस तरह से आया है, देखिये–

हजरत आयशा रजिउल्लाह से रवायत है कि कबीलह रफ़ायत फ़रती की एक औरत रसूले खुदा सलाल्लैहु वलैहि अस्लम की खिदमत में हाजिर हुई, और अर्ज किया कि ऐ रसूले अल्लाह! रफायत ने मुझे तलाक दे दी, और उसने मेरी तलाक हमेशा के लिए कर दी और मैने उसके बाद अब्दुल रहमान बिन ज़बीर से निकाह कर लिया, पर उसका इकह

तनासुल (लिंग) कपड़े के फुन्दे की तरह ढ़ीला है। यह सुन कर हजरत ने फरमाया कि शायद तू फिर रफायत फ़रती की तरफ़ जाना चाहती है, पर तू नही जा सकती, जब तक कि शरियः के मुताबिक वह अब्दुल रहमान बिन ज़बीर तेरा और तू उसका सम्भोग के द्वारा जायका न चख ले अर्थात् उससे हमबिस्तर न हो लो तब तक तू अपने पहले खाविन्द के पास नही जा सकती।

तिरमिजी हदीस के सफा 234 व 235 पर इसी घटना को कुछ इस तरह बयान किया गया है, देखिये–

तू नही जा सकती जब तक कि तू अब्दुल रहमान बिन ज़बीर का शहद न चख ले और तेरा शहद वह न चख ले, बाकी किस्सा ऊपर लिखे के मुताबिक ही है।

नोट– इसमें औरत का शहद चखने की बात मुसलमानों को बताई गई है, इस शहद का जायका मीठा होता है या नमकीन? यह तो हमारे मुसलमान भाई ही जानते हैं।

"सम्पादक"

(१५१) इस्लाम में इग्लामबाजी अर्थात् लौंडेबाजी की मिसालें ।

इमाम जरजामी से रवायत की है कि–इमाम मलिक से

हलालह की दब्र अर्थात् गुदा में वती (सम्भोग) का कार्यक्रम पूरा किया गया अर्थात् गुदा मैथुन द्वारा मौहब्बत की रस्म पूरी की गयी, इमाम मौसूफ ने फरमाया कि मैनें अभी–अभी इस फेल (कार्य) से फारिग होकर गुसल अर्थात् हाथ मुह धोया है।

(हफवातुल मुसलमीन अर्थात् मुसलमानों की बकवास पृष्ठ नं०–६८)

नोट– इस विषय की विस्तार से जानकारी के लिए उक्त पुस्तक **"हफ़वातुल मुसलमीन"** अर्थात् मुसलमानों की बकवास नामक पुस्तक के पृष्ठ ६७ से ७८ तक का अवलोकन करें।

(१५२) लौंडेबाजी के लिए तेल का इस्तेमाल करना

देखिये इब्ने अबी मलिक इमाम आज़म कौफ़ी क्या फरमाते हैं ?–

जब उनसे वती फी उल् दब्र अर्थात् इग्लामबाजी (गुदा मैथुन) के बारे में पूछा गया तो आपने कहा– मुझसे एक बार औरतों के साथ गुदा मैथुन के बारे में राय ली गई तो मैनें अपना अनुभव सुनाया कि मैनें एक कुँवारी लड़की से यह काम करने की इच्छा ज़ाहिर की, परन्तु जब दखौल दुश्वार हुआ अर्थात् लिंग गुदा के अन्दर नही जा पाया तो रोगन (तेल) की मदद ली गई।

(दर मन्सूर तहत निसाउकुम् सफा २६६ छापा मिश्र)

(१५३) फीस देकर ज़िना अर्थात् व्यभिचार करने का हुक्म।

ऐसी औरतें जिनका खाविन्द जिन्दा है, उनको लेना भी हराम है, मगर जो कैद होकर तुम्हारे हाथ लगी हों उनके लिए तुमको खुदा का हुक्म है, और उनके सिवाय दूसरी सब औरतें हलाल हैं। जिनको तुम माल ओ असबाब देकर कैद में लाना चाहो, फिर जिन औरतों से तुमने मजा उठाया हो, तो उनसे जो महर अर्थात् रूपया देना ठहराया हो वह उनके हवाले कर दो।

महर ठहराये पीछे आपस में अगर कुछ कमी-बेशी करो तो तुम पर कुछ गुनाह नही। देखिये उर्दू कुरान में यह तर्जुमा (अनुवाद) दिया है कि- **वल्मुह्सनातु मिनन्निसा-इ इल्ला मा म-ल-कत् ऐमानुकुम्**.......अर्थात् और हराम की गई ब्याही हुई औरतों से, मगर जिसके मालिक हुए हैं दाहिने हाथ तुम्हारे, लिख दिया अल्लाह ने ऊपर तुम्हारे, और हलाल किया गया वास्ते तुम्हारे जो कुछ सिवाय उसके है, यह कि तलब करो तुम बदले मालोअस्बाब अपने के कैद में रहने वाली, न पानी ड़ालने वाली यानी बदकार, बस! जो माल कि फ़ायदा (मजा) उठाया है तुमने बदले उसके, उनमें से, बस दो उनको जो मुकर्रर किया है वास्ते मुआफ़िक मुकर्रर के,

और नही गुनाह ऊपर तुम्हारे बीच उन चीजों के कि रजामन्द हुए तुम साथ उसके पीछे मुकर्रर करने के, तहकीक अल्लाह है अर्थात् बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिकमत करने वाला है।

(कुरान मजीद सूरा निसा पारा ५ आयत २४)

नोट– देखिए यहाँ खुदा ने अपने आदेश में औरतों को लूटने, उन्हें कैद में रखनें, उनसे ज़िना (व्यभिचार) करने व उनसे जो फ़ीस तय की जावे वह उनको देने का हुक्म दिया गया है। और इस ज़िनाखोरी को गुनाह नही बताया गया है।

"सम्पादक"

(१५४) कुरान में बीबियाँ बदलने का आदेश ।

देखिये कुरान में आया है कि–

व इन् अरत्तुमुस्तिब्दा –ल जौजिम्मका

........अर्थात् और अगर चाहो तुम बदल लेना एक बीबी की जगह दूसरी बीबी को, और दिया है तुमने पहली बीबी को मालो अस्बाब तो बस ! मत लो उसमें से कुछ भी उससे ।

(कुरान मजीद सूरे निसा आयत २०)

नोट– कुरान में मुसलमानों को जब भी वे चाहें अपनी

पुरानी जोरू को नई जोरू से बदलने की इजाजत ऊपर साफ दी गई है, नारी जाति की कितनी बेइज्जती कुरान में दी गई है? और उनके ऊपर क्या-क्या गुजरती है? यह तो मुस्लिम औरतें ही जान सकती हैं। यहाँ वैसे हमें अल्लाह तआला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंनें उन पहली बीवियों के साथ यह तो नरमी बरती कि उसे जो मालो अस्बाब दे दिया, उसमें से कुछ मत लेना, अगर कहीं यह हुक्म जारी हो जाता कि वह पहली औरत बेवफ़ा निकल गई, इसलिए उससे अपना दिया हुआ और उसका भी जमा धन सब छीन कर नई बीबी को दे दिया जाये, और जब वह पुरानी हो जाये तो उससे छीन कर आगे नई बीबी को दे दिया जाये, तो बस ! मुस्लिम औरतें तो कहीं की भी नही रहती, बेचारियों के साथ वही कहावत सिद्ध हो जाती कि **"ना खुदा ही मिला और ना विसाले सनम्"** अर्थात् ना इधर के रहे ना उधर के हुवे। इसलिए मुस्लिम औरतों को कम से कम इस बात में तो खुदा का शुक्र अदा करना ही चाहिये।

"सम्पादक"

(१५५) कुरान में पाक होने का अजीबोगरीब (अनोखा) तरीका ।

आप चाहे सफर में हों, चाहे बीमार हों या मुसाफिर या

औरत से सम्भोग करके आये हो या पखाना करके आये हों, और तुमको पाक होने के लिए पानी न मिले तो पाक मिट्टी लेकर हाथ व मुह पर मल कर पाक हो लो, अल्लाह माफ करने वाला व बख्शने वाला है।

(कुरान मजीद सूरे निशा आयत ४३)

नोट– इस आयत में कुरान ने मुसलमानों को बताया है कि अगर पाखाना, करके आये हो या औरत से वती (सम्भोग) करके आये हो और इनके करने से अगर गुदा और लिंग गन्दे हो गये हों तो पाक मिट्टी लेकर अपने मुह व हाथों पर मले तो ये दोनों गन्दे हिस्से खुद ही साफ हो जायेंगे। इससे यह भी हिदायत मिलती है कि अगर मुह गन्दा हो जावे तो साफ मिट्टी लेकर इन दोनों जगहों पर मल ली जावे तो मुह खुद ही साफ हो जायेगा ।

खुदा ने पाक होने का इतना बढ़िया सर्व सुलभ तरीका मुसलमानों को बता दिया है,और क्या चाहिए ? इसलिए मुसलमानों को खुदा का शुक्र अदा करना ही चाहिए।

"सम्पादक"

(१५६) जन्नत में मर्द और दोज़ख में औरतें ही होंगी ।

इमरान बिन हसीक रजीउल्लाह उनमा से रवायत करते हैं, नबी सलाल्लेहुवैहिअस्लम ने फरमाया–मैने जन्नत में झाँक

कर देखा तो उसके अकसर बाशिन्दे फ़कीर लोग देखे और दोजख में झाँका तो उसके अन्दर अक्सर बाशिन्दी अर्थात् रहने वाली औरतें देखी।

(सही बुखारी जिल्द २ सफा १९२ हदीस १९३)

(१५७) मुर्गा फरिश्ते को और गधा शैतान को देखता है ।

अबू हुरैरा रजी़उल्लाह अन्स से रवायत है कि नबी सलाल्लैहुवलैहिस्लम् ने फरमाया–जब तुम मुर्गे की आवाज सुनो तो अल्लाह तआला से उसके फ़जल अर्थात् मेहरबानी की दुआ करो, क्योंकि वह फरिश्ते को देखता है, और जब तुम गधे की आवाज सुनो तो बजरियह (माध्यम) खुदा ताला के, शैतान से पनाह की तलब (इच्छा) करो क्योंकि वह शैतान को देखता है।

(सही बुखारी जिल्द २ सफा ९९ हदीस २२०)

(१५८) मौत मैढ़ें की शकल में कत्ल कर दी जायेगी ।

अबू सईद खुदरी रजीउल्लाह अन्स से रवायत है–कहा रसूले अल्लाह ने फरमाया कि मौत कबरे मैढ़ें की शक्ल में लाई जायेगी, बस! पुकारने वाला अहले जन्नत और अहले नार अर्थात् दोजख को पुकारेगा, वह सर उठा कर देखेगें, बस! वह कहेगा उसको हो, जबाब देगें, हाँ! यह मौत है, और तमाम लोगों ने इसको देखा है। बस! वह जिबह (कत्ल) कर

दी जायेगी। फिर कहेगा ऐ अहले जन्नत! हमेशगी है, और अब मौत न आयेगी।

(तिरमिजी जिल्द २ हदीस १३०१ तथा सही बुखारी जिल्द २ सफा २८४ हदीस ५७४)

(१५९) खुदा दोज़ख में खुद अपने पैर डालेगा।

अन्स रजीउल्लाह अलैहिवसलल्म से फरमाया है कि-दोज़ख में केवल दोज़खी ही ड़ाले जावेंगे, और वह कहेगी क्या और ज्यादा भी हैं? यहाँ तक कि खुदा ताला अपना कदम रक्खेगा, तब वह कहेगी बस! बस!!

(सही बुखारी हदीस ५९८ सफा २९५ जिल्द २)

(१६०) खुदा के चेहरे पर जन्नत में बड़ाई रूपी चादर ढ़की होगी।

अब्दुल्लाह बिन कैस रज़ीउल्लाह उन्मा से रवायत है कि-रसूले खुदा सलाल्लैहु वलैहिअस्लम ने फरमाया कि दो जन्नतें हैं, ज़िनके बर्तन और सब चीज चाँदी की हैं और दो जन्नतें हैं जिनके बर्तन और सब चीजें सोने की हैं, और लोगों के और उनके अपने परवरदिगार को देखने के माबैन अर्थात् बीच जन्नत अदन में कोई आड़ अर्थात् परदा नहीं होगा, सिवाय बड़ाई की चादर के ! जो उसके चेहरे पर पड़ी होगी।

(सही बुखारी जिल्द २ सफा २९७ हदीस ६७२)

(१६१) मुसलमानों को जन्नत में बेशुमार औरतें मिलेंगी।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने फरमाया कि जन्नत में रहने वालो में से अदना मर्तबा अर्थात् साधारण दर्जे का वह शख़्स होगा कि जिसके लिए वहां साठ हजार खादिम अर्थात् सेवा करने वाले होगें, तथा हर सेवा करने वाले का काम अलग-अलग होगा।

एक शख़्स ने आँ हजरत सलाल्लेहुअस्लम से दर्याफ्त किया कि जन्नत वाले क्या वहाँ ज़माअ अर्थात् सम्भोग भी करेंगे? तो आपने फरमाया कि एक शख़्स को अहले जन्नत में से इतनी-इतनी कुव्वत अर्थात् ताकत मिलेगी कि तुम में से वह सत्तर मर्दो के बराबर होगी।

आँ हज़रत सलाल्लेहुवलैहीअस्लम ने फरमाया कि एक शख़्स पाँच सौ हूरों, चार हजार बाकिरह औरतों अर्थात् कुँवारियों और आठ हजार मर्द रसीदह अर्थात् शादीशुदा औरतों से निकाह करेगा और उनमें से हर एक से इतना मुआनिका अर्थात् सम्भोग करेगा, जितना कि वह इस दुनियां में जिया होगा।

(सही बुखारी शरीफ)

(१६२) जन्नत में हूरों का बाजार लगेगा।

आँ हज़रत मौहम्मद साहब ने फरमाया कि जन्नत में

एक बाजार है, जहाँ बजुज़ मर्द औरत के हुस्न के अर्थात् मर्द-औरत के हुस्न के अलावा अन्य किसी चीज की खरीद फरोख़्त अर्थात् लेन-देन नहीं होगी, बस! जब कोई शख़्स किसी हसीन सूरत की ख्वाहिश करेगा, तो वह उस बाजार में जायेगा जहां बड़ी-बड़ी आंखों वाली हूरें जमा हैं, वह इतनी बुलन्द अर्थात् ऊँची आवाज में कहती हैं कि आज तक किसी ने न सुनी होगी, और वो आवाज इस प्रकार है कि-हम दाइम-काइम अर्थात् हमेशा से रहने वाली हैं, हम कभी फ़ना (नाश) नहीं होगीं, हम साहिबे नियामत हैं, न कभी मोहताज होगीं और न कभी फ़ना होंगी, मुबारक है वह शख़्स जो हमारा हो और हम उसकी हों।

आँ हज़रत सलाल्लेहुवलैहीअस्लम ने फरमाया कि अहले जन्नत में अदना अर्थात् सबसे छोटा वह होगा जिसके पास अस्सी हजार खादिम अर्थात् सेवादार और बहत्तर बीबियाँ होंगी। अर्थात् इतनी तो सबको मिलेंगी ही मिलेंगी। बाकी जो जितने बड़े ओहदे वाले होंगे उनको उस हिसाब से और भी ज्यादा दी जायेगीं।

(मिर्जा हैरत देहलवी का लिखा मुकद्दमाये तफ़सीरूल्कुरान सफ़ा ८३व ८४)

(१६३) इस्लाम में बलात्कार की खुली छूट ।

इस्लाम मज़हब में माना जाता है कि अपनी मनकूहा

अर्थात् ब्याहता औरत के अलावा ग़ैर औरतों से वती अर्थात् सम्भोग इसलिए सज़ा के काबिल नहीं ब्लकि जायज़ माना गया है कि उनसे औलाद पैदा होने का अन्देशा नहीं। जैसा कि हदीस में आया है कि जो शख़्स अपनी मर्जी से बिना किसी तरह की ताकत इस्तेमाल किये वती (मैथुन) के काबिल नौ साल की उम्र से लगा कर बुढ़ापे तक की औरत से, चाहे वह सम्भोग के लिए शरिय: से ठीक हो या न हो, बस! उसकी फुर्ज (योनि) में सामने से भोग करे, अगर वह आगे की ओर से करे तो सज़ा के काबिल न होगा, अगर पीछे की ओर से योनि में ही मैथुन करे तो उसका यह फ़ेल ज़िनाकारी अर्थात् उसका यह कार्य बलात्कार के रूप में माना जायेगा।

(दरमुख्तार जिल्द १ सफ़ा ४०२ नवल किशोर प्रैस लखनऊ सन्-१९१५ ई०)

(१६४) नाबालिग, मुर्दा या जानवर से सम्भोग ।

ज़नाब हलवी ने फ़रमाया है कि-नाबालिग लड़की, मुर्दा और जानवर अर्थात् चौपाये, वती अर्थात् सम्भोग के काबिल नहीं हैं, परन्तु अगर उनसे कोई सम्भोग कर ही डाले तो वह जुर्म अर्थात् सज़ा के काबिल भी नही होगा ।

ज़नाब हलवी से रवायत है कि - वती अर्थात् भोग करे औरत की दब्र (गुदा) की ओर से तो उसमें हुरमत मुसाहरत

अर्थात् ससुराल का हराम होना साबित नहीं क्योंकि उसका असर औलाद तक नही पहुँचता।

(तबीय्यनुल खलायक हाशिया, सफ़ा १०७)

(१६५) लिंग पर कपड़ा लपेट कर सम्भोग करना ।

ज़िनाअवालफे हरीर अर्थात् लिंग पर कपड़ा लपेट कर मैथुन करना यह इस्लाम में सुसराल सावित न होने के मतलब से किया जाता है इसलिए वह अगर ज़िकर अर्थात् लिंग पर कपड़ा लपेट कर ज़माअ (सम्भोग) किया जावे तो उससे हुरमत मुसाहरत अर्थात् ससुराल हराम साबित नहीं होती।

मतलव यह है कि जैसे बिना कपड़ा लपेटे भोग करने से मनकूहा अर्थात् अपनी निकाह की हुई वर्तमान बीबी या भोगी हुई मौतूमा वीवी की माँ, बहन, मौसी, फूफी, नानी, दादी वगैरा कुरान की रू से वती (सम्भोग) करने वाले पर हराम हो जाती हैं। परन्तु कपड़ा लपेटने के बहाने से वती अर्थात् भोग करने वाले मर्द पर मौतूमा अर्थात् भोग की हुई औरत की माँ, वहन, मौसी, फूफी, नानी, दादी ये सब हलाल हो जाती हैं अर्थात् वह इन सबसे खुले आम भोग करने का हकदार बन जाता है।

(रूलरायक शरह कज़ादिल कायक किताबुल निकाह)

नोट- तब कन्ड़ोम अर्थात् निरोध का प्रचलन नहीं था, अन्यथा कपड़े की जगह इसका प्राविधान कर दिया जाता तो बेचारे मुसलमानों को काफी सुविधा हो जाती।

"सम्पादक"

(१६६) अगर सम्भोग के बाद रज़ और वीर्य न निकले तो नहाना या वज़ू करना जरूरी नही ।

हदीस में फरमाया गया है कि-ज़िकर अर्थात् लिंग पर कपड़ा लपेट कर सुहवत अर्थात् सम्भोग किया जावे और मर्द का वीर्य न निकले तो इसके बारे में किन्ही मुसलमानी फुकहा अर्थात् विद्वानों का कहना है कि गुसल करना अर्थात् नहाना वाजिब होता है और किन्ही-किन्ही ने कहा है कि गुसल वाजिब नहीं होता, ज्यादा ठीक बात यह है कि अगर बारिक कपड़ा इस तरह लिंग पर लपेटे कि फुर्ज (योनि) की हरारत अर्थात् गर्मी और लिज्ज़त अर्थात् मज़ा महसूस होता हो तो गुसल (नहाना) वाजिब है वरना गुसल वाजिब अर्थात् जरूरी नहीं।

कहने का तात्पर्य साफ है कि अगर औरत व मर्द झड़ जावें अर्थात् औरत व मर्द का रज और वीर्य स्खलित होकर वे पूर्ण सन्तुष्टि व तृप्ति को प्राप्त हो जायें तो नहा भी सकते हैं और नही भी जैसी परिस्थिति हो वैसा करें, ऐसा भी बहुत

से मुस्लिम विद्वानों का कहना है।

(फ़ताबा आलमगीरी जिल्द १ फ़सल सालिस फिलमुआफी मैजीबुल गुसल)

(१६७) यात्रा से लौट कर देर रात को शौहर सीधा अपने घर में न जावे ।

जावेर बिन अब्दुल्लाह रजीउल्लाह अहन्मा से रवायत है कि-रसूले खुदा सलेल्लाहु वलैहिअस्लम ने फ़रमाया कि जब तुम में से कोई मुसाफ़िरत अर्थात् यात्रा में देर लगा दे तो तुम वापिस होने पर अपने घर में रात के वक्त मत जाना। क्योंकि शायद कोई ग़ैर आदमी घर के अन्दर हो तो उसका पर्दाफ़ाश न हो सके।

आगे उन्ही रजिउल्लाह अहन्मा से रवायत है की आँ हजरत ने फ़रमाया कि जब तू रात में आवे तो अपने घर में न जा, जब तक कि तेरी बीबी मुकामज़ेर नाफ़ अर्थात् नाभि के नीचे के बालों पर उस्तरे का इस्तेमाल न कर ले यानि अपने गुप्तागों के बालों की सफ़ाई न कर ले और सिर में कंघी न कर ले।

(सही बुखारी हिस्सा १ सफा ३२९ हदीस ६८७-६८८)

(१६८) मुर्दा औरत से सोहबत (भोग) करना ।

त्वारिख़ खुल्फ़ाये उर्दू मौलवी मसीहुल ज़मात में है कि

यज़ीद बिन अब्दुल मलिक बिन मखान की एक माशूका बीबी मर गई तो यजीद अपनी इस मय्यते माशूका अर्थात् औरत की लाश के साथ एक सप्ताह तक मुज़ामअत अर्थात सम्भोग करता रहा और दरबार के अमीरो ने इस्तदुआ (प्रार्थना) की, तब उसको दफ़न किया गया।

(दरमुख्तार सफ़ा ३०३)

(१६९) बीबी अपने खाबिन्द (पति) के लिए हर समय सम्भोग के लिए तैयार रहे ।

हज़रत तल्क बिन अली फ़रमाते हैं कि नबी करीम सलाल्लेहुवलैही अस्लम ने फरमाया है कि जब मर्द अपनी बीबी को अपनी ख्वाहिश अर्थात् सम्भोग के लिए बुलाये, तो औरत सब काम छोड कर पहले उसके पास जाकर उसकी इच्छा पूर्त्ति करे। ख़्वाह तनूर पर ही क्यों न हो अर्थात् चाहे वह किसी भी काम मे व्यस्त ही क्यों न हो उसको छोड कर पहले अपने खाविन्द के हुकम की तामील करे, उसके हुकम को पामाल अर्थात् अनदेखा न करे।

(तिरमिजी जिल्द १ सफा २३२ हदीस १०२२)

(१७०) सम्भोग की इच्छा को रोकना नाजायज़ है

अगर कोई मर्द कहीं किसी खूबसूरत औरत को देखे तो हज़रत ज़ाबेर से रवायत है कि आँ हज़रत ने एक खूबसूरत

औरत को देखा तो ज़नाब तभी अपनी बीबी ज़ैनब के पास आये और अपनी हाज़त पूरी की, और उसके बाद बाहर तशरीफ़ लाये और फ़रमाया कि औरत जब सामने आती है तो वह शैतान के रूप में आती है, बस! जब तुम में से कोई किसी औरत को देखे और वह औरत तुम्हे अच्छी लगती हो तो तुम्हे चाहिये कि तभी अपनी औरत के पास आकर अपनी ख्वाहिश पूरी करो, मन में उसी खूबसूरत औरत का ख्याल रक्खो तो समझो तुमने उसी खूबसूरत औरत से मुबाशिरत अर्थात् सम्भोग किया, क्योंकि बाकी चीज (अंग) तो दोनों के पास एक जैसी ही है।

(तिरमिजी सफा २३२ जिल्द १ हदीस १०२०)

(१७१) एक दूसरे का थूक चाटना ज़ायज है ।

हज़रत आयशा से रवायत है कि- मैं जिस बर्तन से पानी पीती थी, और फिर उस बर्तन को बीच में ही रोककर बाकी बचे हुए पानी को पीने के लिए आँ हज़रत को दे देती थी, आप बर्तन पर उसी जगह मुह लगा कर पानी पीते थे, जहां से मैने पिया था, हालांकि मैं हैज़ (माहवारी) से होती थी, और मैं गोश्त में से हडड़ी निकाल कर उसें चूसती थी, तब आप भी उसी हडड़ी को वहीं से चूसते थे, जहां से मैं चूस कर उन्हे देती थी। जबकि उस हिस्से पर मेरी राल-थूक

आदि लगा होता था।

(सही बुखारी हदीस मुस्लिम)

नोट- भाइयों! इसे कहते हैं मौहब्बत! परन्तु हम तो तब जानते कि हजरत आयशा को श्वास आदि का कोई छुआछूत का ऐसा संक्रामक रोग होता, जिसका डर एक दूसरे में फैलने का होता, और तब आँ हज़रत ऐसा करते तो तब मौहब्बत की कुछ मिसाल कायम होती?

"सम्पादक"

(१७२) आँ हज़रत ने चाँद के दो टुकड़े कर दिये।

हज़रत इब्ने उमर फ़रमाते हैं कि ज़नाब सलाल्लेहुवलैही अस्लम के जमाने में चाँद के दो टुकड़े हो गये थे; इस पर रसूले अल्लाह ने फ़रमाया कि देखो और गवाह रहो। इस बात में हज़रत इब्ने मसऊद, हज़रत अँस, हज़रत जबीर बिन मतऊम से भी रवायत है, यह हदीस हसन सही है।

(तिरमिजी जिल्द २ सफ़ा ४०३ हदीस १५)

(१७३) चौपायों (जानवरों) से सम्भोग करना ज़ायज है।

एक रवायत में हज़रत इब्न अब्बास खुद फरमाते हैं कि जो चौपाये अर्थात् जानवर, कुतिया, बकरी, सूअरी, गाय, भैंस, ऊँटनी आदि के साथ बुरा फेल (सम्भोग) करे तो उस पर कोई हद (जुर्म) लागू नहीं। यह रवायत ज्यादा सही है।

(तिरमिजी जिल्द १ सफ़ा २१० हदीस १२१४)

(१७४) कुरान में झूठी कसमें खाने का आदेश।

तुम्हारे फ़िज़ूल अर्थात् बेकार कसमों पर खुदा तुमको नहीं पकड़ेगा, लेकिन उनको पकड़ेगा जो तुम्हारे दिली इरादों पर कसमें खाई गयी हैं।

(कुरान मजीद पारा २ रूकू २८ सूरा बकर आयत २२५)

अल्लाह ने तुम्हारे वास्ते मुकर्रर कर दिया है, वास्ते तुम्हारे खोलना तुम्हारी कसमों का, और अल्लाह दोस्त है तुम्हारा और वह सब कुछ जानने वाला तथा हिकमत वाला है।

(कुरान पारा २८ रूकू १ सूरा तहरीम आयत २)

नोट- इस विषय पर हदीस तिरमिजी में खुलासा करते हुए लिखा है देखिये-

और जब तुम किसी काम के करने की कसम खाओ, और फ़िर भी उस काम के ख़िलाफ़ करना अच्छा देखा जाये तो अच्छा है, वह करो। और अपनी कसम का कफ़ारा (प्रायश्चित) दे दो। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि हज़रत सलाल्लैहु वलैहि अस्लम ने फ़रमाया कि जिसने किसी चीज के करने की कसम खाई, और फ़िर उसके ख़िलाफ़ करने को उससे अच्छा देखा यानि न करने को अच्छा देखे तो अपनी कसम का कफ़ारा (प्रायश्चित) दे दे

और उसके खिलाफ करे।

हज़रत इब्न उमर से रवायत है कि हुजूर साहब ने फरमाया कि जिसने किसी चीज के जरूर करने को कसम खाई और कह दिया- **"इन्शा अल्लाह"** अर्थात् अगर अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही करूंगा और फिर ऐसा न हो, तो उसकी कसम टूटी नही अर्थात् उस कसम का सारा भार अल्लाह के ऊपर चला गया।

(१७५) कुत्ते की पैदायश थूक से है।

अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रवायत है कि एक दिन इब्लीस आदम के पुतले में दाखिल होकर नाभि तक घुस गया और वहां गर्मी और हरारत महसूस करने की वजह से न ठहर सका और जल्दी से वहां से निकल भागा, इस वजह से ईर्ष्या-द्वेष अधिक पैदा हो गया, और वह गुस्से के मारे आदम के पुतले पर थूक कर चला गया, अल्लाह के हुकम से इस थूक से कुत्ता पैदा हो गया।

(क०अ० बुखारी शरीफ)

(१७६) पत्थर हज़रत मूसा के कपड़े ले भागा।

नबी सलाल्लेहुवलैहीअस्लम से कहा कि-नबी इस्त्रायल बिरहना नंगे अर्थात् निर्वस्त्र गुसल (स्नान) किया करते थे, बाज-बाज को देखता था और मूसा अलैहि असलम तन्हां

गुसल करते थे, इसलिए उन्होंने कहा कसम खुदा की मूसा को हमारे हमराह गुसल करने से कोई चीज मना नही, बजुज़ इसके कि उनके ख़सियह बड़े हैं, इसलिए ऐबपोशी की वजह से तन्हां नहाते हैं। बस! एक बार गुसल करने गये तो अपना कपड़ा एक पत्थर पर रख दिया, पत्थर उस कपडे को लेकर भागा, हज़रत मूसा उसके पीछे-पीछे यह कहते जाते थे कि-मेरा कपड़ा ऐ पत्थर, मेरा कपड़ा ऐ पत्थर! यहां तक कि नबी इस्त्रायल ने मूसा को देखा और कहा कि- कसम खुदा की, मूसा में कोई नुक्स नहीं है। और अपना कपड़ा ले लिया और पत्थर को पीटने लगे। अबू हुरैरा ने कहा कसम खुदा की पत्थर पर मारने से उसमें छः-सात निशान मौजूद थे।

(सही बुखारी भाग-१ सफ़ा ७४ हदीस १९७)

(१७७) इस्लाम में परदा कैसे चालू हुआ ?

हज़रत आयशा रज़ीउल्लाह से रवायत है कि नबी सलाल्लेहुवलैहीअस्लम की बीबियाँ रात के वक्त निकलती थी और जब वो पेशाब या पाखाना करने के लिए जंगल में जाती थीं, और वह साफ और फ़राग मुकाम था, तो हज़रत उमर रजिउल्लाह फरमाया करते थे कि अपनी बीबियों का परदा कीजिये, रसूले अल्लाह आँ हज़रत की बीबियाँ परदा

नहीं करती थी। बस! हज़रत सूदा बिन्स ज़मह ज़ोजह नबी करीम सलाल्लेहुवलैहीअस्लम एक शब (रात) को निकली और वह दराज, कद औरत थी, तो हज़रत उमर ने उनको पुकार कर कहा कि आगाह (सावधान) हो जाओ, हमने तुमको पहचान लिया है। ऐ सूदा !......इस पर कि परदा का हुक्म नाज़िल फरमाया।

(सही बुखारी भाग १ सफा ५५ हदीस १२१)

(१७८) हज़रत मौहम्मद का छः साल की आयशा से निकाह ।

आयशा रजिउल्लाह अन्हां से रवायत है कि नबी सलाल्लेहुवलैहीअस्लम ने मुझसे उस वक्त निकाह किया, जब मेरी उमर छः साल की थी।

(सही बुखारी भाग २ सफा १७८ हदीस ४११)

(१७९) हज़रत मौहम्मद साहब में तीस मर्दों के बराबर सम्भोग करने की ताकत थी ।

अन्स रजीउल्लाह अन्ह से रवायत है कि रसूले खुदा सलाल्लेहु वलैही अस्लम अपनी तमाम बीबियों पर मुबाशरत (सम्भोग करते हुए) चक्कर लगाते थे, रात की और दिन की औरतें ग्यारह थी, और एक रवायत में है कि नौ औरतें थी। कहा गया है कि आपमें इतनी औरतों को भोगने की

ताकत थी? तो उन्होंने कहा कि हम बातें किया करते थे कि आपको तीस आदमियों की कुव्वत अर्थात् ताकत अता की गई है।

(बुखारी शरीफ भाग १ सफा ७३ हदीस ११३)

(१८०) रोजाना सूरज खुदा को सिज़दा करने जाता है ।

अबू ज़र रजीउल्लाह अन्ह से रवायत है कि- मुझसे एक बार आँ हज़रत ने फ़रमाया कि शाम के वक्त यह सूरज कहाँ जाता है? क्या तू इस बात को जानता है? मैने अर्ज किया, इसको तो अल्लाह या उसका रसूल ही ज्यादा जानते हैं। आपने फ़रमाया कि यह अर्श अर्थात् खुदा जिस तख़्त पर सातवें आसमान पर बैठा रहता है, वहां उसके नीचे जाकर सिज़दा करता है, फिर जब चलने की इजाजत मांगता है, तो उसको अल्ला तआला के द्वारा चलने की इजाजत दी जाती है। तब यह चलकर सुबह को यहां आता है।

(बुखारी शरीफ भाग २ सफ़ा ८७ हदीस १७८)

(१८१) सूरज और चाँद लपेटे जायेंगे ।

अबू हुरैरा रजिउल्लाह से रवायत है कि- नबी सलाल्लेहुवलैहीअस्लम से फ़रमाया-आफ़ताब और चाँद कयामत के रोज लपेट दिये जायेंगे।

(बुखारी शरीफ भाग २ सफ़ा ८७ हदीस १७९)

(१८२) हज़रत मौहम्मद के बाद कोई नबी नही आयेगा ।

आँ हज़रत ने एक बार फ़रमाया कि- मेरे बाद कोई नबी नही अर्थात् मैं ही इस जहान का आखिरी पैगेम्बर हूँ।

(बुखारी शरीफ भाग २ सफ़ा १२१ हदीस २६६)

(१८३) कलमा पढ़ने वाला बुरे से बुरा आदमी भी जन्नत में जायेगा ।

रसूले खुदा सलाल्लेहुवलैहीअस्लम ने फ़रमाया कि- बुरे से बुरे व्यक्ति पर भी खुदा ताला ने उसको दोज़ख पर हराम कर दिया है, जिसने कह दिया कि- **"लाइल्लील्लाह मुहम्मदरसूल्ललाह"**। बस ! वही जन्नत का हकदार है।

(बुखारी शरीफ भाग १ सफ़ा १०१ हदीस २७०)

(१८४) अ.समान में सितारे क्यों बनाये गये?

कुरान में कहा गया है कि- वही तो है जिसने तुम लोगों के लिए सितारे बनाये, ताकि अन्धेरों में उनसे जंगलों और नदियों के रास्ते मालूम करो।

(कुरान मजीद पारा ७ सूरा अनआम रूकु १२ आयत ९७)

और देखिये आगे कुरान क्या फ़रमाता है?

और उसी ने रात और दिन और सूरज और चाँद और सितारों को तुम्हारे काम में लगा रक्खा है और ये सभी उसी

के फ़रमाबरदार हैं, जो लोग अक्ल रखते हैं, उनके लिए इन चीजों में खुदा की कुदरत की बहुत सी निशानियां हैं।

(कुरान मजीद पारा १४ सूरा नहल रूकु २ आयत १२)

नोट- इन आयतों से साफ़ ज़ाहिर है कि सूरज-चाँद और तारे ये सभी खुदा ने लोगों को रास्ता बताने व उन्ही के काम में आने के लिए बनाये हैं, इनका और कोई मकसद नही है। यहां अल्ला तआला के हुक्म के आगे सारी की सारी खगोल विद्या वैज्ञानिकों की धरी की धरी रह गयी।

"सम्पादक"

(१८५) आसमान में तारे टूटना क्या है?

देखिये कुरान में खुदा फ़रमाता है कि - हमने आसमान में बुर्ज़ बनाये, और देखने वालों के लिए उसको तारों से सजाया ॥१६॥

और हर निकाले हुए शैतान से हमने उसकी हिफ़ाजत की अर्थात् उसे शैतान से महफूज़ (सुरक्षित) रक्खा ॥१७॥

मगर कोई चोरी छिपे किसी बात को अगर सुन भागे तो दहकता हुआ अंगारा जो टूटे हुए तारे के रूप में उसको खदेडने के लिए उसके पीछे होता है ॥१८॥

(कुरान मजीद पारा १४ सूरा हिज्र रूकु २ आत्यत १६ से १८)

नोट - इसी तरह की बेसिरपैर की बातें, अरब निवासियों

को जो उस समय ज़ाहिल ही थे उन्हे ड़राने-धमकाने को पर्याप्त थी, इसी तरह के सपने बहिश्त व दोजख़ के भी उन लोगों को काबू में लाने के लिए प्रयोग में लाये गये थे। जो कि हज़रत मौहम्मद साहब का यह नुस्ख़ा उन पर शत प्रतिशत कामयाब हुआ।

"सम्पादक"

आगे देखिये कुरान में कहा गया है कि-

फ़ला उक्सिमु बि-मवाक़िअिन्नुजूम ॥७५॥
व इन्नहू ल-क-...लमू-न अज़ीम ॥७६॥

(कुरान मजीद सूरा वाक़िआ आयत ७५-७६)

अर्थात् तारों के टूटने की कसम ॥७५॥ और समझों तो यह बड़ी कसम है ॥७६॥, वन्नज्मि इज़ा हवा ॥१॥

(कुरान मजीद सूरा नज्म आयत १)

अर्थात् तारे की कसम जब यह टूटता है।

इन्ना जय्यन्नस्समा-अद्दुन्या......................कवांकिब ॥६॥
व हिफ़्ज़म्-मिन् कुल्लि................................मारिद ॥७॥
ला यस्सम्मअून इलल्...................................ज़ानिब ॥८॥
दुहूख्-व लहुम्..व्यासिब ॥९॥
इल्ला मन् खतिफ़ल्....................................साकिब ॥१०॥

(कुरान मजीद सूरा साफ़फ़ात आयत ६ से १०)

भावार्थ- अर्थात् हमने आसमान को सितारों की रौनक से सजाया ॥६॥ और हर शैतान सरकश से बचाव बनाया ॥७॥ वह शैतान ऊपर के लोगों यानी फ़रिश्तों की तरफ़ कान नही लगाने पाते और उनके लिए हर तरफ से उन पर शोले आग के फेंके जाते हैं ॥८॥ भागने के लिए और उनकी हमेशा की मार है ॥९॥ मगर कोई किसी फरिश्ते की बात को जल्दी से उचक ले जाता है तो दहकता हुआ अँगारा उसके पीछे (टूटे हुए तारे के रूप में) लगता है ॥१०॥

नोट- रात को आसमान में जो उल्कापात होते हैं, उनको खुदा ने कुरान में तारा टूटना बताया है, और उनके द्वारा शैतानों को मारना लिखा है। यह कहाँ तक ठीक है? इस पर पढ़े लिखे तालीमयाफता सज्जन गौर कर सकते हैं। भाइयों ये है **"इलहामी ज्ञान"** अर्थात् खुदा की ओर से दिया गया इल्म।

"सम्पादक"

(१८६) खुदा का दफ़्तर भी है ।

देखिये कुरान में कहा गया है कि-

व तरा कुल्-ल उम्मतिन्.........कुन्तुम् तअू-मलून ॥२८॥

हाज़ा किताबुना यन्तिकु..........कुन्तुम्तअू -मलून ॥२९॥

भावार्थ- अर्थात् कयामत के दिन ....तू देखेगा कि हर गिरोह घुटने के बल बैठा होगा। हर गिरोह अपने एमालनामा के पास बुलाया जायेगा, जैसे तुम काम करते थे, आज उनका बदला पाओ ॥२८॥

यह हमारा दफ़्तर है, जो तुम्हारे काम ठीक-ठीक बतलाता है, जो कुछ तुम करते थे, हम उसको लिखवाते जाते थे ॥२९॥

(१८७) खुदा अपने रोजनामचे के रजिस्टर भी रखता है।

देखिये कुरान में कहा गया है कि-

कल्ला इन्-न किताबल.................लफ़ी सिज्जीन ॥७॥

व मा अद्रा-क...सिज्जीन ॥८॥

किताबु म्...मर्क़ूम ॥९॥

यशहदुहल्...मुक़र्रबून ॥२१॥

(कुरान मजीद सूरा ततफ़ीफ़ आयत ७,८,९ व २१)

भावार्थ- बुरे काम करने वालों के कर्म खुदा के रोजनामचा और कैदियों के रजिस्टर में दर्ज़ हैं ॥७॥ और ऐ पैगेम्बर! तू क्या समझे कि कैदियों का रजिस्टर क्या चीज है? ॥८॥ वह किताब है जिसकी खाना पूरी होती रहती है ॥९॥ फरिश्ते जो नज़दीक हैं, वो उस पर तैनात हैं ॥२१॥

नोट- कुरान में इन आयतों के अन्दर बताया गया है कि खुदा अपना रोजनामचा और रजिस्टर अपनी याद्दाश्त के लिए रखता है, और उनकी हिफ़ाजत के लिए चौकीदार के रूप में फरिश्तों को भी लगाता है।

"सम्पादक"

(१८८) जन्नत में खुदा शराब पिलावेगा ।

देखिये कुरान में कहा गया है कि-

युस्कौ-न...मख्तूम ॥२५॥

खितामुहू मिस्क व............................मु-त नाफ़िसून ॥२६॥

(कुरान मजीद सूरा तत्फ़ीफ़ आयत २५-२६)

भावार्थ- उनको खालिश शराब मुहरबन्द की हुई पिलाई जायेगी ॥२५॥ जिस बोतल की मुहर कस्तूरी की होगी, और ख्वाहिश करने वालों को चाहिये कि उसकी ख्वाहिश करें ॥२६॥

इन्नल अब्रा-र यश्-रबू-न........मिजाजुहा काफ़ूरा ॥५॥

व युस्कौ-न फ़ीहा..................................ज़न्जबीला ॥१७॥

(कुरान मजीद सूरा दहर आयत ५ व १७)

भावार्थ-बेशक नेक काम करने वाले शख्स प्याले पियेंगे, जिनमें कपूर की मिलावट होगी ॥५॥ और वहां उनको

प्याले पिलाए जायेंगे जिनमें सौंठ मिली होगी ॥१७॥

य-त-नाज़अून फ़ीहा...................व ला तअ्-सीम ॥२३॥

(कुरान मजीद सूरा तूर आयत २३)

भावार्थ- वहां वे एक दूसरे से जामे शराब झपट लिया करेंगे, जिस (के पीने) से न बक झक होगी, न कोई गुनाह की बात ॥२३॥

म-सलुल्-जन्नतिल्लती......फ़-क़त्त-अ अम्आ-अहुम् ॥१५॥

(कुरान मजीद सूरा मुहम्मद आयत १५)

भावार्थ- जन्नत में.......शराब की नहरें हैं, जो पीने वालों को बहुत ही मजेदार मालूम होगी अर्थात् सरासर लज्ज़त है ॥१५॥

(१८९) खुदा लूट खसूट और डकैती का हुक्म देता है ।

देखिये कुरान में आया है कि-

व मग़ानि-म कसी-र तय्यअ्...........अजीजन् हकीमा ॥१९॥

व अ्दकुमुल्लाहु मग़ानि-म.............सिरातम्मुस्तकीमा ॥२०॥

व उख्रालम् तक्दिरू अलैहा.....कुल्लि शैइन् क़दीरा ॥२१॥

भावार्थ-और बहुत सी लूटें (गनीमतें) उनके हाथ लगी और अल्लाह बड़ी हिकमत वाला है ॥१९॥ अल्लाह ने तुमसे बहुत सी लूटों को देने का वायदा किया था, कि तुम

उसे लोगे फिर यह (खेबर की लूट)तुमको जल्द दी.... ॥२०॥ और दूसरा वायदा लूट का है जो तुम्हारे काबू में नही आया, वह खुदा के हाथ है, और अल्लाह हर चीज पर ताकतवर है ॥२१॥

(१९०) लूट के माल में खुदा व पैगेम्बर का भी हिस्सा होगा ।

कुरान में कहा गया है कि-

वअ्-लगू अन्नमा......................कुल्लि शैइन् क़दीर ॥४१॥

(कुरान मजीद सूरा अन्फ़ाल आयत ४१)

भावार्थ- ....और जान रक्खो कि जो चीज तुम लूट कर लाओ उसका पाँचवा हिस्सा खुदा का और उसके पैगेम्बर का और पैगेम्बर के रिश्तेदारों का होगा ॥४१॥

(१९१) खुदा द्वारा बाँदियों से सम्भोग करने की खुली छूट ।

कुरान में कहा गया है कि-

वल्लज़ी-न हुम्...हाफ़िज़ून ॥५॥

इल्ला अला...गैरू मलूमीन ॥६॥

(कुरान मजीद सूरा मोमिनून आयत ५-६)

भावार्थ-ओर वह लोग जो अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाजत करते हैं ॥५॥ मगर अपनी बीबियों ओर बाँदियों के बारे में इल्जाम नही है ॥६॥

वल्-यस्त अ्-फिफिल्-लज़ीन्..............ग़फूरूर्-रहीम ॥३३॥

(कुरान मजीद सूरा नूर आयत ३३)

भावार्थ-तुम्हारी लोंडियां जो पाक रहना चाहती हैं, उनको दुनिया की ज़िन्दगी के फ़ायदे की गरज से हरामकारी पर मजबूर न करो; और जो उनको मजबूर करेगा, तो अल्लाह उनको मजबूर किये गये पीछे माफ करने वाला मेहरबान है ॥३३॥

(१९२) कयामत के रोज खुदा नेकी-बदी के रजिस्टर (किताबें) देखकर ही फैसला करेगा ।

कुरान में आया है कि-

व अश्र-कतिल्-अर्जु..................हुम् ला युज़्लमून ॥६९॥

(कुरान मजीद सूरा जुमर आयत ६९)

भावार्थ-कयामत के दिन खुदा की कचहरी लगेगी.........और जमीन अपने परवरदिगार के नूर से चमक उठेगी और किताबे रख दी जायेंगी और पैगेम्बर और गवाह

हाज़िर किये जायेगें, और उनमें इन्साफ के साथ फैंसला किया जायेगा, और किसी भी प्रकार की बेइन्साफ़ी किसी के साथ नही होगी ॥६९॥

नोट-इस आयत में बताया है कि खुदा किताबों और गवाहियों के आधार पर व रसूल के कहने के मुताबिक ही फ़ैंसला करेगा ताकि मुकद्दमों में उससे कहीं कोई गलती न हो जाये। इसीलिए किसी ने ठीक ही कहा है कि-

फिकर मत कर और न दिल में घबराये मुहम्मद।
बख्शूंगा उसी को जिसे फ़रमाये मुहम्मद॥

"सम्पादक"

(१९३) जन्नत में रहने वाली हूरें लौंडियां हैं ।

हज़रत अँस रजिउल्ला से रवायत है कि - आँ हज़रत सलाल्लेहुवलैहीअस्लम फ़रमाते हैं कि-हूरें जवान जो जन्नत में गाती हैं और कहती हैं कि हम खूबसूरत लोंडियां हैं और करीम मरदों के लिए महफूज़ अर्थात् सुरक्षित (कुँवारी) हैं॥

(मुकद्दमाये तफ़सीरूल्कुरान सफ़ा ८३)

(१९४) जन्नती मियाँ सुरमा लगाया करेगें ।

आँ हज़रत ने फ़रमाया कि जन्नत वाले बरशोबरोत चाक व चुस्त सुरमा लगाये हुए बत्तीस बरस के हज़रत आदम की पैदायश पर होगें, उनका कद साठ हाथ का और अरज़ सात

हाथ का होगा।

(मुकद्दमाये तफ़सीरूल्कुरान सफ़ा ८४)

(१९५) खुदा फरिश्तों के घेरे में होगा ।

देखिये कुरान में आया है कि-

व-त-रल्-मलाइ-क-त हाफ़फ़ी-न
रब्बिल्-आलमीन् ॥७५॥

(कुरान मजीद सूरा जुमर आयत ७५)

भावार्थ-और ऐ पैगेम्बर ! उस दिन तू देखेगा कि फ़रिश्ते अपने परवर्दिगार की खूबी बयान करते हुए उस (खुदा) के तख़्त के आस पास उसे घेरे हुए हैं ॥७५॥

आगे देखिये-

अल्लज़ीन महि्मलूनल्अर्-श
अजावल् ज़हीम ॥७॥

(कुरान मजीद सूरा मौमीन आयत ७)

कुरान में खुदाई आदेश है कि-

भावार्थ- जो फरिश्ते खुदा के तख़्त को उठाये हुए हैं वे अपने परवर्दिगार की तारीफ़ के साथ उसके चारों ओर तस्बीह अर्थात् माला जपते रहते हैं और मौमिनों के लिए दोज़ख से बचने की बख्शीश मांगते रहते हैं ॥७॥

(१९६) खुदा के तख्त को आठ फ़रिश्ते उठाये हुए होगें ।

देखिये कुरान मजीद में कहा गया है कि–

वल्म-लकु अला अर्‌जाइहा
यौमइज़िन समानियः ॥१७॥

(कुरान मजीद सूरा हाक्का आयत १७)

भावार्थ- कयामत के दिन...... फरिश्ते आसमान के किनारे पर होगें, और उस दिन तुम्हारे परवर्दिगार (खुदा) के तख़्त को आठ फ़रिश्ते उठाये हुए होगें ॥१७॥

(१९७) खुदा ने लोगों को गुनाहगार बनाने के लिए शैतान की ड्यूटी लगा रखी है ।

देखिये कुरान मजीद में कहा गया है कि–

अ-लम् त-र अन्ना
त उज़्ज़ुहुम् अज़्ज़ा ॥८३॥

(कुरान मजीद सूरा मरियम आयत ८३)

भावार्थ-क्या तुमने नही देखा कि हमने शैतानों को काफिरों पर छोड़ रखा है, कि वह उन पर गालिब रहें और उनको उकसाते रहें ॥८३॥

नोट–

यहां जब खुदा खुद ही गुनाहों के लिए शैतानों को मुकर्रर करता है तो फिर गुनाहों के लिए इन्सानों की जिम्मेवारी क्यों कर रहेगी ?

"सम्पादक"

(१९८) जन्नत में खुदा ने पेड़ खुद लगाये ।

रज़ीउल्लाह अन्ह फरमाते है कि–

हज़रत आदम सलाल्लेहुवलैहीअस्लम को अपने हाथों से पैदा किया और फरिश्तों को अपने हाथों से लिखा, और जन्नत में दरख़्त (पैड़) खुद अपने हाथों से लगाये ।

(मुकद्दमाये तफ़सीरूल्कुरान सफ़ा ८४)

(१९९) हज़रत मौहम्मद साहब अपने लिंग को अपनी बीबी की योनि से रगड़ते थे ।

हज़रत मौहम्मद साहव जब गुसल (स्नान) करते थे तो अपने खतने के मुकाम अर्थात् लिंग का अग्र भाग–**"सुपारी"** को अपनी बीबी के खतने के मुकाम अर्थात् योनि के अग्रभाग जिसे **"भग नाशा"** कहा जाता है से रगड़ते जाते थे।

(बुखारी शरीफ जिल्द २ हदीस नं० १)

नोट-

1- अरब में औरतों के खतना करने की परम्परा है । हिन्दुस्तानी मुसलमानों को चाहिए कि उनका अनुकरण करें।

2- अगर आँ हज़रत दूसरे की बीबी की योनि से अपना लिंग रगड़ते तो जूते ना खाते?

(२००) खुदा सोने के जूते पहिनता था ।

काज़ी अबुल यमीन ने नुईम इब्ने हुम्माद से रवायत की है कि-फरमाया रसूले खुदा सलाल्लेहुवलैहीअस्लम आँ हज़रत साहब ने कि देखा मैने ख़्वाब में कि खुदा निहायत खूबसूरत और सोने के जूते पहिने हुए है।

(अर्श सवार सफा २११)

(२०१) इस्लाम में वती फ़ीअल्दब्र अर्थात् लौंडेबाजी जायज है ।

अबी सुलेमान ज़रजानी से रवायत की है, उन्होने कहा कि-

इमाम मलिक से हलालह की दब्र में वती अर्थात् गुदा में सम्भोग के जवाज का इस्तफ़ताऊ किया गया। इमाम मौसूफ़ ने फ़रमाया कि मैने अभी इस फ़ेल (कार्य) से फ़ारिग होकर गुसल (स्नान) किया है।

(दरमंशूर सेवती जिल्द अव्वल मतबूआ मिश्र सफ़ा २६६ सतर ३०)

मौहम्मद बिन सईद ने अबी सुलेमान ज़रजानी से रवायत की है कि-

मैं खुद इमाम मलिक की खिदमत में हाजिर था कि उनसे वती फ़ीउल्दब्र निस्वान का इस्तफ़ताअ किया गया अर्थात् इमाम मौसूफ़ा ने अपने सिर पर हाथ मार कर फ़रमाया कि मैने अभी इस फ़ैल (कार्य) से फ़ारिग होकर गुसल (स्नान) किया है।

(ऐनी कृत शरह बुखारी किताब अलतफ़सीर)

इमाम आज़म कैफ़ी यानी इब्न अबी मलेका की यह रवायत है कि-

उनसे वती फ़ी उलदब्र अर्थात् गुदा मैथुन निस्वान का इस्तफताअ किया गया तो फरमाया कि मैने खुद एक वाकिरह अर्थात् नाबालिग़ लडकी से जब इसका इरादा किया तो लिंग दखूल दुश्वार हुआ अर्थात् लिंग को गुदा के अन्दर प्रवेश कराना ही मुश्किल हो गया तो तब उस दशा में रोगन अर्थात् तेल की मदद ली गयी।

(दरमंशूर सफ़ा २६६)

(२०२) "जन्नत" पर सर सैय्यद अहमद खाँ की राय ।

यह समझना कि जन्नत एक बाग की शक्ल में पैदा हुई

है और उसमें संगमरमर और मोती के ज़ड़ाऊ महल हैं, बाग में सरसब्ज़ शादाब अर्थात् हरे भरे पेड़ हैं, शराब और शहद की नदियाँ बह रही हैं । और हर किस्म का मेवा खाने को मौजूद है।

साकी व साकनीन अर्थात् शराब पिलाने वाली औरतें जो बेहद खूबसूरत चाँदी के गहने पहने जो हमारे यहां घोसिनें पहनती हैं ।

वही साकी व सकानीन खूबसूरत हूरें जन्नत में शराब पिला रही हैं, और हर एक इन्सान जन्नत का रहने वाला हर एक दूसरे के गले मे हाथ डाले पड़ा है। किसी ने एक दूसरे की जाँघ पर सिर धरा हुआ है, कोई किसी की छाती से लिपट रहा है ।

किसी एक ने लम्बें जाँबख्श का बोसा लिया है, तो कोई किसी कोने में पड़ा हुआ एक दूसरे से सम्भोग क्रिया में मशगूल है....कोई-कोई तो एक दूसरे की गुप्तेन्द्रियों को सहलाने में व्यस्त है, बस ! बस !! ऐसा बेहुदापन मौजूद है, जिस पर महान आश्चर्य होता है।

अगर यही स्वर्ग अर्थात् जन्नत का नज़ारा है तो बिला मुबालिगा अर्थात् बिना सोचें समझे निःसंकोच हमें यह कहना पड़ेगा कि-

हमारे ख़राबात अर्थात् रण्ड़ीखाने जिन्हे चकलाघर भी

कहा जाता है वो इस जन्नत से हजार दर्ज़ा बेहतर हैं ।।

(तफ़सीरूल कुरान सफ़ा ३३ जिल्द १)

नोट-अब आपने मुसलमानों के प्रामाणिक ग्रन्थों के आधार पर ही हनफी मज़हब की मान्यताओं का विस्तार पूर्वक वर्णन पढ़ा ।

अब आप स्वयं निर्णय करें कि जिस मज़हब की बुनियाद ही कूड़े-करकट पर टिकी हो तो उसकी इमारत कितनी शानदार बनेगी ?

हमारे मुसलमान भाई अक्सर यह कहते हैं कि हमारे दिलों को हमारी भावनाओं को चोट पहुचाँयी जा रही है, हमें आहत किया जा रहा है, उनका यह कथन कहाँ तक सत्य है ? जबकि उस **"चोट"** को तो उन्होने अपने दिलों में खुद रक्खा हुआ है ।

अगर आज ये लोग इसे अपने दिल से बाहर निकाल फैकें, तो कोई भी इन्हे चोट पहुंचाने वाला नही है ।

परन्तु इस बात के कहने से उनका आशय कुछ और ही है जिसे कानून के जानकार भली भाँति समझते हैं । जबकि असलियत तो यह है कि उनके दिलों को कोई चोट नहीं पहुँचती वो लोग भारतीय दण्ड संहिता का नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं ।

अगर आज ये सभी बुराईयाँ इस्लाम अपने अन्दर से

बाहर निकालने का दृढ़ संकल्प ले ले तो इसमें कोई सन्देह नही कि वह दिन दुनी और रात चौगुनी उन्नति कर सकता है।

इस्लाम का खैरन्देश अर्थात् शुभ चाहने वाला-

"मौलाना हिज़बुल्ला"*

(पाकिस्तान)

---

*"**हिज़बुल्लाह**" अर्थात् केवल एक ईश्वर को मानने वाली पार्टी या अच्छे-भले लोगों का संगठन ! संसार को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, जैसे दिन व रात, भलाई व बुराई, अच्छे व बुरे आदमी, इत्यादि, जो अच्छे कार्य हैं उन्हे "**हिज़बुल्लाह**" कहा जा सकता है, और जो बुरे कार्य या मनुष्य हैं उन्हे "**हिज़बुश शैतान**" कहा जा सकता है। वैसे लुग़त अर्थात् कोश में हिज़बुल्लाह का अर्थ "**भले लोगों का संगठन**" भी है।

"सम्पादक"
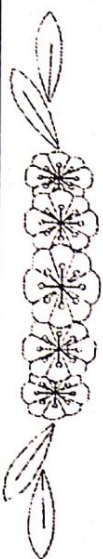
नोट : इस्लाम से सम्बन्धित कुरान और हदीसों पर आधारित प्रमाणिक पुस्तकें प्राप्त करने के लिए सम्पर्क करें।

-: प्रकाशक :-

हिज़्बुल्ला पब्लिकेशन एण्ड प्रैस क़ादियान
पाकिस्तान

ब्राँच : ईरान, इराक, भारत (हैदराबाद)